

तृतीय  
वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण  
2023 – 2024



हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड  
(सी.आई.एन :U01110UP2021PTC154607)

## हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

### मूल्य, ध्येय एवं दीर्घ दृष्टि

#### मूल्य:

- गुणवत्ता प्रत्येक स्तर पर
- पारदर्शिता
- ईमानदारी
- प्रतिबद्धता
- समय पाबंद
- जुनून
- प्रगतिशील
- टीम भावना

#### ध्येय:

हरित प्रदेश एमपीसी अपने दुग्ध उत्पादक सदस्यों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने के लिए, गुणवत्ता युक्त दूध का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य एवं तकनीकी सेवाएँ प्रदान करते हुए, कम लागत में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प है। साथ ही एमपीसी उच्च गुणवत्ता युक्त दूध एवं दुग्ध पदार्थ को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है।

#### दीर्घ दृष्टि (2030):

हरित प्रदेश एमपीसी, दुग्ध उत्पादक सदस्यों, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों की पहली पसंद होगी तथा भारत के डेयरी क्षेत्र में शीर्ष 10 संस्थानों में सबसे अग्रणी होगी।

अनुक्रमणिका	पृष्ठ सं.
निदेशकों का तीसरा वार्षिक प्रतिवेदन	2-18
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	19-31
बैलेंस शीट 2023-24	32-52
चतुर्थ वार्षिक साधारण सभा की सूचना	53-78
सदस्यता जारी रखने की शर्तें	79-79

(नोट: हिन्दी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी अस्पष्टता पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे)

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड  
सी.आई.एन :U01110UP2021PTC154607  
रजिस्टर्ड कार्यालय: द्वितीय तल, वर्धमान प्लाजा, प्लॉट नंबर 09, पॉकेट - जे,  
पल्लवपुरम-1, रूड़की रोड, मेरठ-250 110, उत्तर प्रदेश, भारत  
दूरभाष संख्या : 0121- 4341575  
ईमेल :info@haritpmilk.com, वेबसाइट: www.haritpmilk.com

### निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित खातों के साथ कंपनी के संचालन पर अपनी तीसरी वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

### वित्तीय परिणाम

सारांशित वित्तीय परिणाम इस प्रकार हैं:

(रूपये लाख में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
संचालन से राजस्व	45,288.45	31,855.11
अन्य कमाई	227.76	64.65
व्यय सहित कुल लागत	44,403.43	31,284.80
कर पूर्व लाभ/हानि	1,112.78	634.96
कर व्यय:		
(1) वर्तमान कर	331.00	169.00
(2) आस्थगित कर	(45.30)	(5.51)
शुद्ध कर व्यय	285.70	163.49
कर के बाद लाभ/(हानि)।	827.08	471.47

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष के ₹31855.11 लाख के मुकाबले ₹45288.45 लाख का कारोबार हासिल किया है।

इस अवधि के दौरान कंपनी ने ₹45516.21 लाख की कुल आय प्राप्त की है, जिसमें परिचालन राजस्व ₹45488.45 लाख और अन्य आय ₹227.76 लाख शामिल है। इस अवधि के दौरान कुल खर्च ₹44403.43 लाख हुआ। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 827.08 लाख रुपये का मुनाफा कमाया है।

### सीमित रिटर्न (लाभांश)

कंपनी के निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹100 प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 9,35,994 समता अंशों पर प्रति अंश ₹8 के लाभांश की सिफारिश करते हुए खुशी हो रही है। समता अंशों पर लाभांश चतुर्थ वार्षिक साधारण सभा ("एजीएम") में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। चतुर्थ वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों के अनुमोदन के बाद लाभांश का भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा जिनका नाम 31 मार्च, 2024 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है। यदि मंजूरी दे दी जाती है, तो लाभांश के परिणामस्वरूप ₹74,87,952 का नकद प्रवाह होगा।

### **सामान्य संचय में स्थानांतरण:**

बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZI तथा कंपनी के अंतर्नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के कर पश्चात लाभ में से ₹752.20 लाख सामान्य संचय के खाते में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा है।

### **संचालन अवलोकन**

भौगोलिक विस्तार और बुनियादी ढांचा विकास।

### **हमारी पहुंच का विस्तार:**

इस वर्ष, हमने गर्व से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सात जिलों मेरठ, मुज़फ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बिजनौर, हापुड और बुलन्दशहर में परिचालन किया।

- 1,188 गांवों को कवर करते हुए 1,406 कार्यात्मक दूध पूलिंग पॉइंट (एमपीपी)। यह व्यापक नेटवर्क कुशल दूध संग्रह सुनिश्चित करता है और गुणवत्ता और पहुंच के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का समर्थन करता है।
- हमने नजीबाबाद, बिजनौर जिले में एक नया दूध शीतलन केंद्र जोड़कर अपने बुनियादी ढांचे का विस्तार किया, जिससे हमारे कुल 12 शीतलन केंद्र हो गए। यह विस्तार हमारी दूध संरक्षण क्षमताओं को बढ़ाता है, ताजगी और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।

### **सदस्य विकास और जुड़ाव**

एक संपन्न समुदाय:

हमारे पंजीकृत सदस्यों के परिवार में इस वर्ष 53% की प्रभावशाली वृद्धि हुई। 31 मार्च 2024 तक, हमारे पास 52,496 पंजीकृत सदस्य हैं, जिनमें से 49,468 सक्रिय सदस्य हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में सक्रिय सदस्यता में 122% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है, जो हमारी सफल सदस्य भागीदारी पहल को दर्शाता है।

### **दूध खरीद सफलता:**

हमारे सम्मानित सदस्यों से, हमने कुल 81,420,910.89 किलोग्राम दूध खरीदा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 42% की पर्याप्त वृद्धि है। यह वृद्धि हमारे सदस्यों के हम पर विश्वास और हमारी दूध संग्रह प्रक्रियाओं की दक्षता को रेखांकित करती है।

### **सदस्यों को वित्तीय लाभ:**

हमारे सदस्यों की वित्तीय भलाई के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। इस वर्ष, 13,442 सदस्यों ने ₹3,13,80,461 का बोनस अर्जित किया जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया गया, जो उनकी कड़ी मेहनत और वफादारी को पुरस्कृत करने के हमारे समर्पण को दर्शाता है।

### **प्रौद्योगिकी प्रगति**

हरित स्वागतम और हरित मित्र ऐप्स का परिचय:

- इस वर्ष, हमने सदस्यों को सहजता से जोड़ने के लिए हरित स्वागतम ऐप लॉन्च किया, जिससे नए सदस्यों के लिए हमारे समुदाय में शामिल होना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया।
- अपने सदस्यों को उनके योगदान और आय को जानने में सहायता करने के लिए, हमने हरित मित्र ऐप आरंभ किया है। यह ऐप शिफ्ट-वार दूध डालने का पूरा विवरण और भुगतान इतिहास प्रदान करता है, जिससे हमारे सदस्यों के लिए पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित होती है।

### सदस्यों के लिए उन्नत सेवाएँ

#### सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला भोजन और पोषण संबंधी सहायता:

- अपने सदस्यों के पशुधन के स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता में हमने 5,536 मीट्रिक टन उच्च गुणवत्ता वाला पशु चारा प्रदान किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 87% की वृद्धि है।
- हमने 18,497 किलोग्राम खनिज मिश्रण भी वितरित किया, 265% की उल्लेखनीय वृद्धि यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे सदस्यों के पशुधन को उच्चतम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हों।

#### स्थिरता पहल:

- इस वर्ष, हमने 335 एमपीपी में घरेलू बायोगैस इकाइयों का उपयोग करने में 638 सदस्यों को सुविधा प्रदान की। ये इकाइयाँ न केवल सदस्यों को रसोई गैस बचाने में मदद करती हैं बल्कि जैविक खाद भी प्रदान करती हैं, जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम करने में योगदान मिलता है।
- अपने सदस्य उत्पादकों से घोल एकत्र करके, हमने एक जैविक खाद विनिर्माण संयंत्र का संचालन किया। यह संयंत्र हमारे सदस्यों को "हरित सुधन" ब्रांड नाम के तहत उच्च क्षमता वाली जैविक खाद प्रदान करता है, जो टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है।

### पशुधन सुधार कार्यक्रम

#### पशुधन उत्पादकता बढ़ाना:

हमारे सदस्यों के पशुधन की उत्पादकता और आनुवंशिक क्षमता में सुधार करने के लिए, हमने लिंग-आधारित वीर्य का उपयोग करके 27,230 कृत्रिम गर्भाधान किए और उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले वंशावली के 8 सफल भ्रूण स्थानांतरण किए। यह पहल एक मजबूत और उत्पादक पशुधन आधार बनाने में हमारे सदस्यों का समर्थन करने की हमारी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

#### प्रगति की ओर

इस वर्ष की उपलब्धियाँ हमारे सदस्यों का समर्थन करने, हमारे संचालन का विस्तार करने और टिकाऊ प्रथाओं में अग्रणी होने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। जैसा कि हम भविष्य की ओर देखते हैं, हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड डेयरी किसानों की आजीविका बढ़ाने, दूध की हर बूंद में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और एक स्थायी और समृद्ध डेयरी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए समर्पित है।

## **मानव संसाधन: -**

पिछले वर्ष के दौरान, हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के मानव संसाधन विभाग ने हमारे कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। हमारे उद्योग की तेजी से बदलती गतिशीलता को पहचानते हुए, हमने यह सुनिश्चित करना अपना मिशन बना लिया है कि हमारा कार्यबल इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है। विभिन्न प्रकार के व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से, हम संगठन के सभी स्तरों पर निरंतर उत्कृष्टता और निरंतर सुधार के लिए आधार तैयार कर रहे हैं।

हमारे प्रयासों के केंद्र में नेतृत्व और तकनीकी दक्षताओं को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई पहल हैं। नेतृत्व कार्यशालाएँ हमारी प्रशिक्षण रणनीति की आधारशिला रही हैं, जो हमारे प्रबंधकों और टीम लीडरों को अपनी टीमों का प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करती हैं। ये कार्यशालाएँ निर्णय लेने, संचार और रणनीतिक सोच सहित नेतृत्व कौशल के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारे अग्रणी न केवल दिन-प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन करने में सक्षम हैं, बल्कि दीर्घकालिक सफलता के लिए भी तैयार हैं।

नेतृत्व विकास के अलावा, हमने तकनीकी कौशल वृद्धि पर भी जोर दिया है। जैसे-जैसे हमारा उद्योग विकसित होता है, वैसे-वैसे हमारे कर्मचारियों की विशेषज्ञता भी विकसित होनी चाहिए। इस उद्देश्य से, हमने नवीनतम तकनीकों और उद्योग प्रथाओं पर केंद्रित लक्षित प्रशिक्षण सत्र लागू किए हैं। ये सत्र हमारे कार्यबल को उद्योग के विकास में अग्रणी बनाए रखने, उन्हें नवीन समाधान लागू करने और गुणवत्ता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं जिसके लिए हमारी कंपनी जानी जाती है।

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी में, हमारा दृढ़ विश्वास है कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारे लोग हैं। यह विश्वास न केवल उनके लाभ के लिए बल्कि संगठन की समग्र सफलता के लिए उनकी क्षमता में निवेश करने की हमारी प्रतिबद्धता को प्रेरित करता है। हमारे मानव संसाधन विभाग ने कई क्षमता विकास पहलों का नेतृत्व किया है, जिनका उद्देश्य हमारे कार्यबल की पूरी क्षमता को अनलॉक करना है। ये पहलें कौशल वृद्धि के अवसरों से कहीं अधिक हैं - वे कैरियर की प्रगति के लिए मार्ग हैं, हमारे कर्मचारियों को कंपनी के भीतर बढ़ने के साथ-साथ नई चुनौतियों और जिम्मेदारियों को लेने के लिए सशक्त बनाते हैं।

निरंतर सीखने और विकास की संस्कृति बनाना हमारे लिए एक प्रमुख उद्देश्य है। हम समझते हैं कि आज की तेज-तरार दुनिया में स्थिर रहना कोई विकल्प नहीं है। ऐसे माहौल को बढ़ावा देकर जहां सीखने को प्रोत्साहित और समर्थित किया जाता है, हम एक ऐसे कार्यबल का पोषण कर रहे हैं जो लचीला, अनुकूलनीय है और आगे आने वाली हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। विकास की यह संस्कृति न केवल व्यक्तिगत कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है, बल्कि समग्र रूप से संगठन को मजबूत करती है, जिससे हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और उनसे आगे निकलने का अवसर प्राप्त होता है।

हालाँकि, हमारा ध्यान केवल व्यावसायिक विकास तक ही सीमित नहीं है। हम मानते हैं कि हमारे कर्मचारियों की भलाई उनके प्रदर्शन और समग्र कार्य संतुष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों जरूरतों को पूरा करते हुए कर्मचारी कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। हमारी कंपनी नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर आयोजित करती है जो कर्मचारियों को चिकित्सा जांच और कल्याण संसाधनों तक पहुंच प्रदान करती है। ये पहल यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई हैं कि हमारे कर्मचारी अच्छे स्वास्थ्य में रहें, जिससे वे कंपनी की सफलता में प्रभावी ढंग से योगदान दे सकें।

शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा, हम मानसिक कल्याण पर भी जोर देते हैं। हम समझते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है, और हम इस क्षेत्र में जागरूकता को बढ़ावा देने और सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपके मानव संसाधन विभाग ने तनाव को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से कई पहल शुरू की हैं, जिनमें

तनाव प्रबंधन पर कार्यशालाएं और परामर्श सेवाओं तक पहुंच शामिल है। ऐसा माहौल बनाकर जहां मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर चर्चा और समर्थन किया जाता है, हम अपने कर्मचारियों को स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन बनाए रखने और उनकी भूमिकाओं में आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं।

जैसा कि हम भविष्य की ओर देखते हैं, हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का मानव संसाधन विभाग उत्कृष्टता, सशक्तिकरण और कल्याण की संस्कृति को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता में अटल है। हम मानते हैं कि हमारी कंपनी की सफलता आंतरिक रूप से हमारे कर्मचारियों की सफलता से जुड़ी हुई है, और हम यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित हैं कि उनके पास आगे बढ़ने के लिए आवश्यक संसाधन, समर्थन और अवसर हों।

कर्मचारी वृद्धि और विकास में हमारा निवेश केवल संगठन की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के बारे में नहीं है; यह दीर्घकालिक सफलता के लिए नींव बनाने के बारे में है। अपने कार्यबल के कौशल और क्षमताओं को लगातार बढ़ाकर, हम न केवल आज की चुनौतियों के लिए तैयारी कर रहे हैं बल्कि भविष्य के अवसरों का लाभ उठाने के लिए खुद को तैयार भी कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित, प्रेरित और स्वस्थ कार्यबल के साथ, हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी नई ऊंचाइयां हासिल करना जारी रखेगी और उत्कृष्टता के लिए उद्योग मानक स्थापित करेगी।

### **रोजगार सृजन:**

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करती है, चाहे वह सहायक हो, या रूट वाहन ट्रांसपोर्टर, टैंकर ट्रांसपोर्टर, संविदा श्रमिक के साथ-साथ कंपनी में प्रत्यक्ष रोजगार भी हो।

### **सुरक्षा और स्वास्थ्य:**

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल प्रदान करती है। कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर हमेशा ध्यान दिया जाता है, विशेषकर उन कर्मचारियों के जो शारीरिक रूप से दूध का प्रबंधन करते हैं।

### **व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

### **सामग्री परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ**

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं जो वित्तीय वर्ष के अंत से संबंधित वित्तीय विवरण और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच हुई हैं।

### **वित्तीय विवरण या रिपोर्ट का संशोधन**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 131(1) के तहत स्वैच्छिक या न्यायिक प्राधिकारी के आदेश के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी वित्तीय वर्ष में वित्तीय विवरण या रिपोर्ट में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

### **पूंजी संरचना और शेयरों का निर्गम और सदस्यता**

कंपनी ने वर्ष के दौरान अधिकृत अंश पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया है। 31 मार्च, 2024 तक, कंपनी की अधिकृत अंश पूंजी ₹10 करोड़ थी।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹100 प्रत्येक के 4,93,612 समता अंश जारी किए हैं। 31 मार्च, 2024 को कंपनी की उपार्जित और प्रदत्त अंश पूंजी ₹9,35,99,400 थी।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने कोई समता अंश या वरीयता अंश या कोई प्रतिभूति जारी नहीं की है जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों को शेयरों में बदलने का अधिकार या विकल्प हो।

31 मार्च, 2024 तक, कंपनी का कुल सदस्यता आधार 48,676 सदस्यों का था। 31 मार्च 2024 के बाद कंपनी ने 8,056 नए सदस्यों को नामांकित किया है और 7,330 सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसलिए, इस रिपोर्ट की तारीख तक सदस्यों की कुल संख्या 49,402 है।

### **एजीएम में मतदान अधिकार एवं उपस्थिति**

कंपनी की आगामी वार्षिक साधारण सभा में मतदान के अधिकार के प्रयोग के संबंध में 48,676 सदस्यों में से 11,415 सदस्यों को चतुर्थ वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तावित सभी प्रस्तावों पर अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करने का विशेषाधिकार प्राप्त है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, 37,261 सदस्य जिन्होंने एक वर्ष में कम से कम 200 दिनों तक कुल 500 लीटर दूध नहीं डाला, उन्होंने अपना मतदान अधिकार खो दिया है और आगामी वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तावित किए जाने वाले किसी भी प्रस्ताव पर मतदान करने का हकदार नहीं हैं।

इसके अलावा, मतदान देने के हकदार 11,415 सदस्यों में से 268 सदस्यों ने इस रिपोर्ट की तारीख तक अपनी सदस्यता छोड़ दी है, प्रभावी रूप से केवल 11,147 सदस्य कंपनी की आगामी वार्षिक साधारण सभा में अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग करने के हकदार हैं।

वे सदस्य जिनका नाम 31 मार्च, 2024 को सदस्य के रजिस्टर में दर्ज है, लेकिन बाद में 31 मार्च के पश्चात उन्होंने अपनी सदस्यता छोड़ दी, वे अभी भी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश प्राप्त करने के पात्र होंगे, यदि चतुर्थ वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। हालाँकि, वे एजीएम में उपस्थिति और मतदान सहित सदस्यता से जुड़े किसी भी अन्य अधिकार या लाभ के हकदार नहीं होंगे, क्योंकि वे कंपनी के सदस्य नहीं रह गए हैं। इसी तरह, जो सदस्य 31 मार्च, 2024 के बाद कंपनी के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे, वे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आगामी एजीएम में लाभांश और मतदान के अधिकार के हकदार नहीं होंगे।

उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार प्रत्येक सदस्य को केवल एक वोट का अधिकार होगा।

### **निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरण**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) के प्रावधानों के अनुसार, यदि कंपनी के अदत्त लाभांश खाते में हस्तांतरित लाभांश, हस्तांतरण की तारीख से सात साल की अवधि के लिए अदत्त या दावा नहीं किया जाता है तो ऐसा दावा रहित या अदत्त लाभांश को कंपनी द्वारा अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, के साथ निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि ('आईईपीएफ') में स्थानांतरित किया जाएगा, जो उप-धारा 125 के तहत स्थापित एक निधि है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) की आवश्यकता के अनुसार निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष में अवैतनिक/दावा न किए गए लाभांश की कोई भी राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

भुगतान न किए गए/दावा न किए गए लाभांश की सूची कंपनी की वेबसाइट [www.haritpmilk.com/unclaimed-dividend/](http://www.haritpmilk.com/unclaimed-dividend/) पर उपलब्ध है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उक्त सूची की जांच करें और यदि उक्त सूची में भुगतान नहीं की गई है, तो ऐसी राशि का दावा करने के लिए कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।

## नोडल अधिकारी

आईईपीएफ के प्रावधानों के तहत कंपनी द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी का विवरण निम्नानुसार है और यह <https://www.haritpmilk.com/nodal-officer-appointed-by-the-company-under-the-provisions-of-iepf/> पर उपलब्ध है।

नाम	पद का नाम	पता एवं संपर्क नंबर	ईमेल आईडी
श्री श्रीमन नारायण पाण्डेय	कंपनी सचिव और प्रबंधक - कानूनी	दूसरी मंजिल, वर्धमान प्लाजा, प्लॉट नंबर-9, पॉकेट-जे, रूड़की रोड, पल्लवपुरम-1, मेरठ 250 110, उत्तर प्रदेश	shriman.pandey@haritpmilk.com

## बोर्ड की बैठकें

कंपनी के व्यवसाय के लेन-देन के लिए बोर्ड की समय-समय पर बैठकें होती हैं और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आठ बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

बोर्ड बैठकों की क्रम संख्या	बोर्ड बैठक की तिथि	बोर्ड के कुल सदस्य	उपस्थित निदेशक
14 वीं बोर्ड बैठक	07 अप्रैल, 2023	13	12
15 वीं बोर्ड बैठक	02 जून, 2023	14	14
16 वीं बोर्ड बैठक	25 जुलाई, 2023	14	13
17 वीं बोर्ड बैठक	13 सितम्बर, 2023	14	13
18 वीं बोर्ड बैठक	31 अक्टूबर, 2023	14	11
19 वीं बोर्ड बैठक	22 दिसंबर, 2023	13	13
20 वीं बोर्ड बैठक	14 फ़रवरी, 2024	13	12
21 वीं बोर्ड बैठक	27 मार्च, 2024	12	12

## समितियां

हितधारक संबंध समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5) की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी के शेयरधारकों की शिकायत का समाधान करने के लिए बोर्ड द्वारा हितधारक संबंध समिति का गठन किया गया था। समिति में शामिल हैं:

क्र.सं.	नाम	पद का नाम
1.	श्री कपिल भारद्वाज	अध्यक्ष
2.	श्री शैलेन्द्र सिंह	सदस्य
3.	डॉ. हितेश पूनिया	सदस्य

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, समिति की एक बार बैठक हुई:

हितधारक समिति की संख्या	संबंध की बैठक	समिति की बैठक की तिथि	समिति के कुल सदस्य	उपस्थित सदस्य की संख्या
दूसरी		27 मार्च, 2024	3	3

### आंतरिक लेखापरीक्षा समीक्षा समिति

एक सुशासन के रूप में, निदेशक मंडल ने आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की जांच, समीक्षा, मूल्यांकन और अंतिम रूप देने और उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक आंतरिक लेखापरीक्षा समीक्षा समिति का गठन किया है। समिति में शामिल हैं:

क्र.सं.	नाम	पद का नाम
1.	श्री कपिल भारद्वाज	अध्यक्ष
2.	श्रीमती अंजू देवी	सदस्य
3.	श्री नरिंदर सिंह बहगा	सदस्य
4.	डॉ. हितेश पूनिया	सदस्य

समिति का गठन 27 मार्च, 2024 को किया गया था और इसलिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, इस समिति की बैठक नहीं हुई।

निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान और उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित कंपनी की नीति।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित धारा 178(1) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

### निदेशक पद में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान

- श्री रविंदर कुमार (डीआईएन: 10053514), श्री संजय कुमार (डीआईएन: 10055051), श्री अमित कुमार (डीआईएन: 10052318) और श्रीमती संगीता (डीआईएन: 10052965) 30/09/2023 को आयोजित कंपनी की तीसरी वार्षिक साधारण सभा में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- श्रीमती अंजू देवी (डीआईएन: 09377125) और श्री अंकुर कुमार (डीआईएन: 09377126) को 30/09/2023 को आयोजित तीसरी वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों द्वारा पुनः नियुक्त किया गया।
- श्री अमित कुमार (डीआईएन: 10052318) 20 दिसंबर, 2023 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 168 के तहत कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दिया।
- डॉ. सी. पी. देवानंद (डीआईएन: 07773929), विशेषज्ञ निदेशक 1 मार्च, 2024 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 168 के तहत कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दिया।
- श्री नरिंदर सिंह बहगा (डीआईएन: 06990320) को 7 अप्रैल, 2023 से दो साल की अवधि के लिए कंपनी के बोर्ड में विशेषज्ञ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

अनुच्छेद 9.6 में प्रावधान है कि कुल निर्वाचित निदेशकों में से एक चौथाई प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा में चक्रिये क्रम द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और जो निदेशक अपनी पिछली नियुक्ति के बाद से सबसे लंबे समय तक पद पर रहे हैं वे सेवानिवृत्त होंगे। अनुच्छेद 9.6 i के अनुसार, एक ही दिन निदेशक बनने वाले व्यक्तियों के बीच, जो लोग सेवानिवृत्त होने वाले हैं, वे आपस में किसी भी समझौते के अधीन डिफॉल्ट रूप से लॉटरी द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, श्री वीरेंद्र (डीआईएन:09377062) और श्री विवेक कुमार (डीआईएन:09733815) की सेवानिवृत्ति को बोर्ड द्वारा आगामी वार्षिक साधारण सभा में चक्रिये क्रम द्वारा सेवानिवृत्त करने के लिए निर्धारित किया गया है। दोनों निदेशक आगामी चतुर्थ साधारण सभा में सेवानिवृत्त हो होंगे और पात्र होने पर खुद को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं।

समीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद:

- श्री आलोक कुमार गुप्ता (डीआईएन:03159741) को 25 मई, 2024 से प्रभावी दो साल की अवधि के लिए कंपनी के बोर्ड में विशेषज्ञ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- कंपनी के निदेशक श्री अंकुर कुमार (डीआईएन:09377126) और श्री पवन कुमार त्यागी (डीआईएन:09733867) 1 अप्रैल, 2024 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 168 के तहत कंपनी के निदेशक नहीं रह गए हैं।
- डॉ. हितेश पूनिया, मुख्य कार्यकारी और पूर्णकालिक निदेशक ने 5 जुलाई, 2024 को कार्यालय समय की समाप्ति के बाद कंपनी से इस्तीफा दिया और एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, नई दिल्ली एवं कंपनी के बीच सेकेंडमेंट व्यवस्था पर 6 जुलाई, 2024 को कंपनी में मुख्य कार्यकारी और पूर्णकालिक निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त हुए।

### निदेशक मंडल की संरचना और आगामी एजीएम में निदेशकों की नियुक्ति/सेवानिवृत्ति

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 9.4 से आर्टिकल 9.6 तक बोर्ड की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 9.4 सदस्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए मानदंड प्रदान करता है, अनुच्छेद 9.5 में प्रावधान है कि जहां तक संभव हो, बोर्ड में प्रतिनिधित्व संबंधित वर्ग के संरक्षण पर आधारित होगा।

निदेशक मंडल ने 20 मार्च, 2022 को आयोजित अपनी 5वीं बैठक में कंपनी के संचालन के पहले 3 वर्षों के लिए वर्ग की प्रयोज्यता को माफ कर दिया है।

### स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

### बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण:-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के निर्माता निदेशकों को प्रशिक्षित करने के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण आयोजित किए गए:

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की तिथि	क्या सभी नए निर्माता निर्देशकों ने भाग लिया
1.	नए निदेशकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम	25 और 26 जुलाई, 2023	हाँ

## निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि-

ए) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, अधिनियम की अनुसूची III के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के साथ पढ़े गए लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और इससे कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं हुआ है।

बी) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया था और निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि कंपनी के मामलों की स्थिति और वर्ष के लिए कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष दृश्य दिया जा सके।

ग) निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की थी।

घ) निदेशकों ने वार्षिक खाते 'चालू समुत्थान' के आधार पर तैयार किए थे।

ई) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

## आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी के पास उचित और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी संपत्तियां सुरक्षित और संरक्षित हैं और लेनदेन अधिकृत, रिकॉर्ड और सही ढंग से रिपोर्ट किए गए हैं। वर्ष के दौरान, ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया गया और डिजाइन या संचालन में कोई रिपोर्ट करने योग्य सामग्री कमजोर नहीं देखी गई।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZF के अनुसार, मेसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता का मूल्यांकन किया है और अधिकांश लेनदेन का समवर्ती रूप से ऑडिट किया है।

## वैधानिक लेखा परीक्षक

मेसर्स एस.बी. बिलिमोरिया एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनी की पहली वार्षिक साधारण सभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 में होने वाली कंपनी की 6वीं वार्षिक साधारण सभा के समापन तक कार्यालय संभालने के लिए नियुक्त किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कोई अयोग्यता, दुराव या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

## लेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, वैधानिक लेखा परीक्षकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के तहत कंपनी में अपने अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के किसी भी मामले की रिपोर्ट बोर्ड को नहीं दी है, जिसका विवरण इसमें उल्लेख करना आवश्यक होगा।

## आंतरिक लेखा परीक्षक

मेसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZF और बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक

के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके तहत आंतरिक लेखा परीक्षक वर्ष में दो बार व्यापक लेखा परीक्षा करते हैं और अपनी रिपोर्ट बोर्ड को सौंपते हैं।

### **होल्डिंग/सहायक/सहयोगी कंपनियाँ**

कंपनी के पास कोई होल्डिंग/सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

### **जमा**

कंपनी ने समय-समय पर संशोधित कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के तहत किसी भी जमा को न तो स्वीकार किया है और न ही नवीनीकृत किया है।

### **ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत कोई ऋण नहीं दिया है, न ही कोई गारंटी या प्रतिभूतियां दी हैं या निवेश नहीं किया है।

### **संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध और व्यवस्थाएँ**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दर्ज किए गए सभी संबंधित पक्ष लेनदेन बराबरी के आधार पर थे और व्यवसाय में सामान्य थे। इसके अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्रमोटरों, निदेशकों या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया गया है। इस प्रकार, फॉर्म एओसी-2 में प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, लेखांकन मानक -18 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के अनुसार, वर्ष के लिए संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन का खुलासा 31 मार्च, 2024 तक बैलेंस शीट के नोट संख्या 34 में दिया गया है।

### **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)**

कंपनी (सीएसआर) संशोधन नियम, 2021 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) लिया है और सीएसआर नीति अपनाई है, जो कंपनी की वेबसाइट <https://www.haripmilk.com/csr> पर उपलब्ध है। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम की धारा 135(9) के अनुसार, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में ₹6,73,223 का सीएसआर योगदान दिया, जैसा कि कंपनी की सीएसआर नीति में निर्दिष्ट है।

कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के तहत निर्धारित प्रारूप में प्रदान की गई सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।

### **जोखिम प्रबंधन**

जोखिम प्रबंधन जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्राथमिकता निर्धारण की प्रक्रिया है जिसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की संभावना और/या प्रभाव को कम करने, निगरानी करने और कम करने/नियंत्रित करने या अवसरों की प्राप्ति को अधिकतम करने के लिए समन्वित प्रयास किए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए इन प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाती है कि प्रबंधन उचित रूप से परिभाषित ढांचे के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करता है। कंपनी द्वारा प्रमुख जोखिमों की पहचान की गई है और व्यवसाय, वित्तीय, मानवीय और वैधानिक अनुपालन आदि क्षेत्रों में इसकी शमन प्रक्रिया/उपाय तैयार किए गए हैं।

कंपनी ने जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है और इसे बोर्ड द्वारा अपनाया गया है।

## ऊर्जा का संरक्षण, अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय

### (i) ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा की गई गतिविधियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधानों के तहत आवश्यक विवरण चतुर्थ नहीं किया गया है।

### (ii) विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कमाई - शून्य;

व्यय- शून्य.

कंपनी के पास सामान्य कार्यालय और बिजली के उद्देश्यों को छोड़कर कोई बिजली की खपत नहीं है।

### सतर्कता तंत्र

कंपनी सतर्कता तंत्र से संबंधित कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ी गई धारा 177(9) के तहत उल्लिखित मानदंडों को पूरा नहीं करती है। इसलिए, सतर्कता तंत्र से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

### नियामकों, न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण

नियामकों, अदालतों, न्यायाधिकरणों द्वारा भविष्य में कंपनी की वर्तमान स्थिति और संचालन को प्रभावित करने वाला कोई महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है।

### लागत रिकॉर्ड

कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) संशोधन नियम, 2014 के प्रावधान, जिसमें कोई भी संशोधन शामिल है, लागत लेखा परीक्षा कंपनी पर लागू नहीं है।

### लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर बोर्ड की टिप्पणी

वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ, जब खातों और लेखांकन नीतियों के प्रासंगिक नोट्स के साथ पढ़ी जाती हैं, तो स्व-व्याख्यात्मक होती हैं और किसी और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

### सचिवीय मानक

कंपनी, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

### वार्षिक रिटर्न का वेब लिंक

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3), धारा 134(3)(ए) के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2023 तक कंपनी का वार्षिक रिटर्न है कंपनी की वेबसाइट [www.haritpmilk.com](http://www.haritpmilk.com) पर उपलब्ध है।

**कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत खुलासा**  
कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है।

वर्ष के दौरान कंपनी में यौन उत्पीड़न की कोई घटना दर्ज नहीं की गई।

### **दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016**

2016 के प्रावधानों के तहत वर्ष के दौरान दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, कोई आवेदन नहीं किया गया और न ही किसी बैंक के साथ कोई एकमुश्त निपटान किया गया।

### **कर्मचारियों का विवरण**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के किसी भी कर्मचारी को अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा से अधिक वेतन नहीं मिला। तदनुसार, संशोधित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुसार कर्मचारियों का कोई विवरण नहीं दिया जा रहा है।

### **एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का विवरण और उसके कारण।**

कंपनी पर लागू नहीं।

### **सराहना और आभार**

निदेशक मंडल समीक्षाधीन अवधि के दौरान सदस्यों, व्यावसायिक सहयोगियों, बैंकों और वैधानिक और आंतरिक दोनों लेखा परीक्षकों के समर्थन और योगदान के लिए उनकी सराहना करता है। निदेशकों ने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए सभी स्तरों पर कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए उनकी गहरी सराहना की।

निदेशक मंडल वर्ष के दौरान उनके सहयोग और समर्थन के लिए एनडीडीबी, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह./-

कपिल भारद्वाज

निदेशक और अध्यक्ष

डीआईएन:09377124

स्थान: मेरठ

दिनांक: 31/08/2024

## अनुलग्नक 1

[कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार] वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन

### 1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा:

कंपनी ने सीएसआर नीति अपनाई है जिसमें कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के तहत सूचीबद्ध गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला शामिल है। कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 के साथ पढ़ें जिसमें मुख्य रूप से शामिल है:

ए) स्वास्थ्य

बी) शिक्षा

सी) स्वच्छता सुविधाएं

डी) पर्यावरणीय स्थिरता

ई) लैंगिक समानता को बढ़ावा देना

एफ) व्यावसायिक कौशल में सुधार

जी) राष्ट्रीय विरासत (कला और संस्कृति की रक्षा करना)

एच) सशस्त्र बलों के दिग्गजों (युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय)

आई) पीएम के राष्ट्रीय राहत कोष या पीएम केयर्स फंड में योगदान, सामाजिक आर्थिक विकास और अनुसूचित जाति के-राहत और कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कोई अन्य फंड। अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाएं।

जे) इनक्यूबेटर्स या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान

के) प्राकृतिक आपदा के समय गतिविधियों को अंजाम देना या आपदा प्रबंधन प्रणाली में शामिल होना।

### 2. सीएसआर समिति की संरचना: लागू नहीं (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(9) के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है। इसलिए, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के कार्य हैं) कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्वहन किया जा रहा है।)

एस.आई. क्रम संख्या	निदेशक का नाम	निदेशक पद पदनाम/प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या में भाग लिया गया
कंपनी अधिनियम की धारा 135(9) के अनुसार लागू नहीं है। 2013				

### 3. वेब-लिंक जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का कंपनी की वेबसाइट पर खुलासा किया गया है:

<https://www.haritpmilk.com/csr/>

### 4. यदि लागू हो तो नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन के वेब-लिंक के साथ कार्यकारी सारांश प्रदान करें: लागू नहीं

5. ए. धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: ₹3,36,57,800

बी. धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: ₹6,73.223

सी. पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: शून्य

डी. वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो: शून्य

ई. वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व[(बी)+(सी)-(डी)): ₹6,73.223

6 (ए) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चल रही परियोजना और चालू परियोजना के अलावा अन्य): ₹6,73.223

वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
क्र.	परियोजना का नाम	की सूची से आइटम अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियाँ	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	जगह की परियोजना।	राज्य।	जिला।	परियोजना अवधि के लिए आवंटित राशि (₹ में)।	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ में)	अव्ययित सीएसआर में हस्तांतरित राशि 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए खाता (₹ में)।	एलएमपीएल का तरीका विचार-प्रक्रिया - प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)।	सरल उल्लेख का तरीका - पूरी एजेंसी के माध्यम से	नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या।
शून्य													

वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)		
क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम।	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	के स्थान परियोजना	राज्य	जिला	परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ में)।	संपूर्ण उल्लेख की राशि प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं) परियोजना के लिए खर्च नहीं किया गया (₹	का तरीका कार्यान्वयन नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या

I.	मुख्य मंत्री का राष्ट्रीय सहायता कोष	अनुसूची VII (viii) प्रधान मंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष	पैन इंडिया	पैन इंडिया	पैन इंडिया	₹6,73,223	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल					₹6,73,223			

(बी) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि: शून्य

(सी) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: लागू नहीं

(डी) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि [(ए)+(बी)+(सी)]: ₹6,73,223

(ई) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या खर्च न की गई सीएसआर राशि:

	खर्च न की गई राशि (₹ में)				
वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि.	धारा 135 की उपधारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में हस्तांतरित राशि (₹ में)		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
₹6,73,223	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(एफ) सेट-ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

क्र.	विवरण	राशि (₹ में)
(1)	(2)	(3)
(i)	कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत धारा 135 की उपधारा (5)।	₹6,73,223
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	₹6,73,223
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	शून्य
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों से उत्पन्न अधिशेष या पिछले वित्तीय वर्षों की गतिविधियाँ, यदि कोई हों	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

7) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का विवरण:

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र.स.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत अव्ययित	धारा 135 संतुलन अव्ययित सीएसआर खाते	वित्तीय वर्ष में खर्च की	अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरित राशि	आगामी वित्तीय वर्ष शेष राशि में खर्च किया	यदि कोई हो, कमी

		सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ में)	में राशि की धारा (6) (₹ में)	गई राशि (₹ में)	धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार, यदि कोई हो	जाना है (₹ में)	
					राशि लाख रूपये में	की तिथि स्थानांतरण	
लागू नहीं							

8) क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई गई या अर्जित की गई है: लागू नहीं

यदि हाँ, तो सृजित/अर्जित पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें:

वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी संपत्ति से संबंधित विवरण चतुर्थ करें:

क्र.	संपत्ति का संपूर्ण पता और स्थान सहित संपत्ति या संपत्ति का संक्षिप्त विवरण	संपत्ति या संपत्ति का पिन कोड	निर्माण की तिथि	सीएसआर की राशि खर्च की गई	पंजीकृत स्वामी की इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
लागू नहीं							

9) यदि कंपनी धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण निर्दिष्ट करें: लागू नहीं

स्थान: मेरठ  
दिनांक: 31/08/2024

ह./-  
हितेश पूनिया  
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक  
डीआईएन:09443126

ह./-  
कपिल भारद्वाज  
अध्यक्ष एवं निदेशक  
डीआईएन:09377124

## स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

### हरित प्रदेश मिल्लक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

### के सदस्यों को वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

#### राय

हमने हरित प्रदेश मिल्लक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आर्थिक चिह्न, लाभ और हानि का विवरण, नगद प्रवाह विवरण शामिल है, और वित्तीय विवरणों के नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं तथा सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं। अधिनियम की धारा 133 ("लेखा मानक") के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और नकदी प्रवाह।

#### राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग मानकों (एसए) के अनुसार वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग के अंकेक्षण के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के साथ-साथ अधिनियम के प्रावधानों और बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं। और इसके तहत, हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी अंकेक्षण राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

- कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।
- वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।
- वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी हमारे अंकेक्षण के दौरान प्राप्त वित्तीय विवरणों या हमारे ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा दिखाई देती है। भौतिक रूप से गलत बताया जाना।
- यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी हुई है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

#### वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी लोगों का उत्तरदायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक भी शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय

नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और भौतिक गलत विवरण से मुक्त होते हैं। चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी की चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, चालू संस्था से संबंधित मामलों का, जैसा लागू हो, खुलासा करने और लेखांकन के चालू संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार हैं, जब तक कि निदेशक मंडल का इरादा न हो। कंपनी को खत्म करना या परिचालन बंद करना, या ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी की वित्तीय अभिलेख प्रक्रिया की देख-रेख के लिए भी उत्तरदायी है।

### **वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व**

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएस के अनुसार आयोजित अंकेक्षण हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार अंकेक्षण के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे अंकेक्षण के दौरान पेशेवर रूप को बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी अंकेक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप हुई किसी सामग्री की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- अंकेक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए अंकेक्षण से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चालू चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने अंकेक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे

अंकेक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक चालू संस्था के रूप में काम करना बंद कर सकती है।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की भयावहता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाती है कि वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने अंकेक्षण कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

हम अन्य मामलों के अलावा, अंकेक्षण के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्षों, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिन्हें हम अपने अंकेक्षण के दौरान पहचानते हैं, के संबंध में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम उन लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं जिन पर शासन का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने वाले हो सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

## अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार आवश्यक है, हमारे अंकेक्षण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे अंकेक्षण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।
- हमारी राय में, जहां तक उन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, कंपनी द्वारा कानूनन अपेक्षित उचित खाते की किताबें रखी गई हैं, सिवाय इसके कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखी गई ऐसी खाते की किताबों का दैनिक आधार पर बैकअप नहीं रखा गया है। एक सर्वर भौतिक रूप से भारत में स्थित है (वित्तीय विवरण के लिए नोट 43 देखें) और नीचे (i)(vi) में बताए अनुसार अंकेक्षण ट्रेल की आवश्यकता का अनुपालन नहीं कर रहा है।
- इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण खाते की किताबों के अनुरूप हैं।
- हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
- 31 मार्च, 2024 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन को निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लेने के आधार पर, धारा के संदर्भ में 31 मार्च, 2024 तक कोई भी निदेशक निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है। अधिनियम की धारा 164(2)।
- खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित संशोधन, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ (बी) में बताया गया है।
- कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक ए" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी

के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असंशोधित राय व्यक्त करती है।  
एच) संशोधित अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में:

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, चूंकि कंपनी एक निजी कंपनी है, इसलिए प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197 लागू नहीं होती है।

- i. कंपनी (अंकेक्षण और अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार संशोधित किया गया है। हम लोगो को:
- ii. कंपनी के पास कोई भी मुकदमा लंबित नहीं है जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा। कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानि हो;
- iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।
- iv. (ए) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 36 में बताया गया है, कोई भी धनराशि उन्नत या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से) या कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी अन्य व्यक्ति(व्यक्तियों) या इकाई(ओं) को इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि मध्यस्थ सीधे या कंपनी द्वारा या उसकी ओर से ("अंतिम लाभार्थी") किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करना।

(बी) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 36 में बताया गया है, कंपनी को किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग पार्टियों द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देगी या निवेश करेगी। ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करें।

(सी) निष्पादित अंकेक्षण प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उचित माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उप-खंड के तहत अभ्यावेदन नियम 11(ई) के (i) और (ii), जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण शामिल है।

v. पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान अधिनियम की धारा 123, जैसा लागू हो, के अनुसार है।

जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 38 में कहा गया है, कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश अधिनियम की धारा 123, जैसा लागू हो, के अनुसार है।

vi. कंपनी ने 5 दिसंबर, 2023 को अपने पुराने लेखांकन सॉफ्टवेयर के एक नए संस्करण में उन्नत किया।

हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच भी शामिल है, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें अंकेक्षण ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को

रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह पूरे समय काम करता है। सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड किए गए सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए वर्ष, सिवाय इसके कि:

- ए। एक सॉफ्टवेयर के संबंध में अंकेक्षण ट्रेल सुविधा 1 अप्रैल, 2023 से 4 दिसंबर, 2023 की अवधि के लिए सक्षम नहीं थी, जहां पहले लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया था, और
- बी। खरीद रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक सॉफ्टवेयर के संबंध में अंकेक्षण ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं थी।

इसके अलावा, हमारे अंकेक्षण के दौरान, हमें उस अवधि के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर के संबंध में अंकेक्षण ट्रेल फीचर के साथ छेड़छाड़ का कोई उदाहरण नहीं मिला, जिसके लिए अंकेक्षण ट्रेल फीचर काम कर रहा था।

जैसा कि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के तहत अंकेक्षण ट्रेल के संरक्षण पर रिपोर्टिंग रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताएँ 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लागू नहीं हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (अंकेक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार, हम "अनुलग्नक बी" में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं। आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में.
3. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग IV की धारा 378ZG द्वारा आवश्यक है, हम देते हैं "अनुलग्नक सी" उस धारा में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान।

एस.बी. बिलिमोरिया एंड कंपनी एलएलपी के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
(पंजीकरण संख्या 101496W/W100774)

ह./-

जीतेन्द्र अग्रवाल  
भागीदार (सदस्यता संख्या 87104)  
यू डी आई एन: 24087104BKCUGO6589

स्थान: गुरुग्राम  
दिनांक: 31/08/2024

## स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "ए"

(हमारी रिपोर्ट की तारीख के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 1(जी) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2024 तक हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अंकेक्षण किया है, साथ ही उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण भी किया है।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जो कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण मानदंडों पर आधारित है, जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करता है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

### लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे अंकेक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपना अंकेक्षण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और कंपनियों की धारा 143(10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग मानकों के अनुसार किया। अधिनियम, 2013, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अंकेक्षण की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे अंकेक्षण में वित्तीय विवरणों और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी मौजूद होने के जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। जोखिम चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी अंकेक्षण राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

## वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रिया है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो

- (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित होती हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं;
- (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और
- (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

## वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों की अवहेलना करने की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या अनुपालन की मात्रा के कारण नीतियाँ या प्रक्रियाएँ बिगड़ सकती हैं।

## राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण काम कर रहे थे। भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी ढंग से जारी किया।

एस.बी. बिलिमोरिया एंड कंपनी एलएलपी के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
(पंजीकरण संख्या 101496W/W100774)

ह./-

जीतेन्द्र अग्रवाल  
भागीदार (सदस्यता संख्या 87104)  
यू डी आई एन: 24087104BKCUGO6589

स्थान: गुरुग्राम

दिनांक: 31/08/2024

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक बी

('अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट का अनुभाग)

हमारे द्वारा मांगी गई और कंपनी द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और लेखापरीक्षा के सामान्य पाठ्यक्रम में हमारे द्वारा जांच की गई लेखा पुस्तकों और अभिलेखों के संदर्भ में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम कहते हैं कि:

(i) (ए) ए. कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

बी. कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।

(बी) कंपनी के पास संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के सत्यापन का एक कार्यक्रम है, ताकि हर 2 साल में एक बार सभी वस्तुओं को कवर किया जा सके, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित है। कार्यक्रम के अनुसार, सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण वर्ष के दौरान भौतिक सत्यापन के लिए थे और वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया था। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गईं।

(सी) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (i)(सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(डी) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ई) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के खिलाफ वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii) (ए) पारगमन में माल को छोड़कर, प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर वर्ष के दौरान भण्डार का भौतिक रूप से सत्यापित किया गया था। हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी के आकार और उसके संचालन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है। पारगमन में माल के संबंध में, माल, वर्ष के अंत के बाद वितरित किया गया है। जब खाते की पुस्तकों के साथ तुलना की जाती है, तो लागू किए गए भण्डार/वैकल्पिक प्रक्रियाओं के ऐसे भौतिक सत्यापन पर प्रत्येक श्रेणी की इन्वेंट्री के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई।

(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के किसी भी समय, कंपनी को बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई कार्यशील पूंजी सुविधा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए खंड (ii) (बी) के तहत रिपोर्ट की जा रही है। आदेश लागू नहीं है।

(iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है, और सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। और इसलिए आदेश के खंड (iii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(iv) कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है, निवेश नहीं किया है या गारंटी या प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की हैं और इसलिए आदेश के खंड (iv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(v) कंपनी ने कोई भी जमा या राशि स्वीकार नहीं की है जिसे जमा माना जाता है। इसलिए, आदेश के खंड (v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(vi) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा कंपनी की गतिविधियों के लिए लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इसलिए, आदेश के खंड (vi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(vii) वैधानिक बकाया के संबंध में:

(ए) वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, आयकर, उपकर और कंपनी पर लागू अन्य सामग्री वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया आम तौर पर वर्ष के दौरान सभी मामलों में उचित अधिकारियों के पास जमा कर दिया गया है।

माल और सेवा कर, भविष्य निधि, आयकर, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक बकाया के संबंध में 31 मार्च, 2024 तक उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई निर्विवाद राशि देय नहीं है।

(बी) उपरोक्त उप-खंड (ए) में निर्दिष्ट कोई वैधानिक बकाया नहीं था जिसे 31 मार्च, 2024 तक विवादों के कारण जमा नहीं किया गया हो।

(viii) वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किए गए पहले से दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था।

(ix) (ए) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता को ऋण या उधार के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(बी) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(सी) कंपनी द्वारा लिए गए सावधि ऋण वर्ष के दौरान उन उद्देश्यों के लिए कंपनी द्वारा लागू किए गए थे जिनके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे, वर्ष के अंत में उठाए गए सावधि ऋणों के संबंध में अस्थायी तैनाती के लंबित आवेदन के अलावा।

(डी) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, प्रथम दृष्टया, अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई धनराशि का उपयोग कंपनी द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए वर्ष के दौरान नहीं किया गया है।

(ई) वर्ष के दौरान कंपनी की कोई सहायक कंपनी या सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं था और इसलिए, आदेश के खंड (ix) (ई) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(एफ) कंपनी के पास वर्ष के दौरान कोई सहायक या सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं था और इसलिए, आदेश के खंड (ix) (एफ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(x) (ए) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड (x) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(बी) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी स्थानन या पूर्ण, आंशिक और वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्र नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड (x) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xi) (ए) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी और कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट की गई है।

(बी) वर्ष के दौरान केंद्र सरकार के साथ कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट कंपनी (अंकेक्षण और अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी -4 में और इस रिपोर्ट की तारीख दायर नहीं की गई है।

(सी) जैसा कि प्रबंधन ने हमें बताया है, वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी को कोई प्रतिनिधि अथवा संकेत (व्हिसल ब्लोअर) द्वारा शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xiii) कंपनी संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 188 का अनुपालन करती है और लागू लेखांकन मानकों के अनुसार संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण वित्तीय विवरणों आदि में प्रकट किया गया है। कंपनी एक निजी कंपनी है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xiv) (ए) हमारी राय में कंपनी के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(बी) हमने पूरे वर्ष के लिए कंपनी को जारी आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्ट पर विचार किया है।

(xv) वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड (xvi)(ए), (बी) और (सी) के तहत रिपोर्टिंग करना लागू आवश्यक नहीं है।

समूह के भीतर कोई मुख्य निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xvii) कंपनी को हमारे अंकेक्षण में शामिल वित्तीय वर्ष और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है।

(xix) वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य सूचनाओं और निदेशक मंडल एवं प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाती है कि कंपनी बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर बैलेंस शीट की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा चुका दिया जाएगा।

(xx) कं॒पनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए आवश्यक राशि पूरी तरह से खर्च कर दी है और वर्ष के लिए कोई भी सीएसआर राशि खर्च नहीं हुई है, जिसे प्रावधान के अनुपालन में कं॒पनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड या विशेष खाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6)। तदनुसार, आदेश के खंड (xx) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।

एस.बी. बिलिमोरिया एंड कं॒पनी एलएलपी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(पंजीकरण संख्या 101496W/W100774)

ह./-

जीतेन्द्र अग्रवाल

भागीदार (सदस्यता संख्या 87104)

यू डी आई एन: 24087104BKCUGO6589

स्थान: गुरुग्राम

दिनांक: 31/08/2024

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक सी

('अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 3 में संदर्भित हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट में)

- क) वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से देय ऋण की राशि वित्तीय विवरणों के नोट 16 में बताई गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी ऋण की वसूली संदिग्ध नहीं मानी जाती है।
- ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास हाथ में नकदी नहीं है और साल के अंत तक कोई निवेश प्रतिभूतियां नहीं हैं।
- ग) 31 मार्च, 2024 को संपत्तियों और देनदारियों का विवरण 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार है।
- घ) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत हो।
- च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।
- छ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई दान या सदस्यता नहीं दी है।
- ज) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऊपर बताए गए के अलावा कोई अन्य मामला नहीं है।

एस.बी. बिलिमोरिया एंड कंपनी एलएलपी के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
(पंजीकरण संख्या 101496W/W100774)  
ह./-  
जीतेन्द्र अग्रवाल  
भागीदार (सदस्यता संख्या 87104)  
यू डी आई एन: 24087104BKCUGO6589

स्थान: गुरुग्राम

दिनांक: 31/08/2024

हरित प्रदेश मिलक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड  
सीआईएन :U01110UP2021PTC154607  
31 मार्च, 2024 तक बैलेंस शीट  
नोट संख्या

31 मार्च, 2024 तक, 31 मार्च, 2023 तक

ए. इक्विटी और देनदारियां		लाखों रुपए में	लाखों रुपए में
<b>1. शेयरधारकों की निधि</b>			
(ए) शेयर पूंजी	3	935.99	442.38
(बी) आरक्षित और अधिशेष	4	1,291.79	500.09
		2,227.78	942.47
<b>2. शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन</b>	28	34.46	133.77
<b>3. आस्थगित अनुदान</b>	5	43.56	24.46
<b>4. गैर-वर्तमान देनदारियाँ</b>			
(ए) दीर्घकालिक उधार	6	1,005.33	1,502.71
(बी) आस्थगित कर देनदारियाँ (शुद्ध)	7		4.12
(सी) अन्य दीर्घकालिक देनदारियाँ	8	434.03	427.20
(डी) दीर्घकालिक प्रावधान	9	42.12	20.91
		<b>1,481.48</b>	<b>1,954.94</b>
<b>5. वर्तमान देनदारियाँ</b>			
(ए) अल्पावधि उधार	10	1,206.89	-
(ए) व्यापार देय	11		
(i) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यम का कुल बकाया		18.34	64.51
(ii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर अन्य लेनदारों का कुल बकाया		2,414.56	1,513.65
(बी) अन्य वर्तमान देनदारियाँ	12	1,507.03	105.81
(सी) अल्पकालिक प्रावधान	13	18.83	151.20
		5,166.65	1,835.17
<b>कुल</b>		<b>8,953.93</b>	<b>4,890.81</b>
<b>बी. संपत्ति</b>			
<b>1. गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ</b>			
(ए) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति			
(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	14	996.98	1,228.07
(ii) अमूर्त संपत्ति	14	15.76	12.07
(iii) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	14	-	80.06
		1,012.74	1,320.20
(बी) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	15	3.93	-
(सी) आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	7	41.18	-
		1,057.85	1,320.20
<b>2. वर्तमान संपत्ति</b>			
(ए) भण्डार	16	250.42	195.03
(बी) व्यापार प्राप्य	17	1,770.00	1,420.18
(सी) नकद और नकद समकक्ष	18	5,739.04	1,900.60
(डी) अल्पावधि ऋण और अग्रिम	19	46.55	13.58
(ई) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	20	90.07	41.22
		7,896.08	3,570.61
<b>कुल</b>		<b>8,953.93</b>	<b>4,890.81</b>

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले संलग्न नोट्स देखें

एस.बी. के लिए बिलिमोरिया एंड कंपनी एलएलपी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

ह./-

जितेंद्र अग्रवाल

साझेदार

स्थान: गुरूग्राम

दिनांक: 31/08/2024

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह./-

कपिल भारद्वाज

निदेशक

डीआईएन: 09377124

स्थान: मेरठ

दिनांक: 31/08/2024

ह./-

श्रीमन नारायण पाण्डेय

कंपनी सचिव

एम. नं. F7763

स्थान: मेरठ

दिनांक: 31/08/2024

ह./-

अंजू देवी

निदेशक मुख्य

डीआईएन: 09377125

स्थान: मेरठ

दिनांक: 31/08/2024

ह./-

प्रकाश चंद्र

प्रमुख - लेखा एवं वित्त

स्थान: मेरठ

दिनांक: 31/08/2024

ह./-

डॉ. हितेश पुनिया

कार्यकारी एवं निदेशक

डीआईएन: 09443126

स्थान: मेरठ

दिनांक: 31/08/2024

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड  
सीआईएन :U01110UP2021PTC154607

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

	नोट संख्या	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ लाखों रुपए में	वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुआ लाखों रुपए में
1. संचालन से राजस्व	21	45,288.45	31,855.11
2. अन्य आय	22	227.76	64.65
<b>3. कुल आय (1+2)</b>		<b>45,516.21</b>	<b>31,919.76</b>
<b>4. व्यय</b>			
(ए) व्यापारिक वस्तुओं की खरीद	23	42,190.78	29,546.12
(बी) सूची में परिवर्तन	24	(60.51)	(49.13)
(सी) कर्मचारी लाभ व्यय	25	376.13	292.98
(डी) वित्त लागत	26	109.22	98.71
(ई) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	14	367.23	284.42
(एफ) अन्य खर्च	27	1,420.58	1,111.70
<b>कुल खर्च</b>		<b>44,403.43</b>	<b>31,284.80</b>
<b>5. कर पूर्व लाभ (3-4)</b>		<b>1,112.78</b>	<b>634.96</b>
<b>6. कर व्यय:</b>			
(ए) वर्तमान कर		331.00	169.00
(बी) आस्थगित कर प्रभार/(क्रेडिट)		(45.30)	(5.51)
शुद्ध कर व्यय (ए+बी)		285.70	163.49
<b>7. वर्ष के लिए लाभ (5-6)</b>		<b>827.08</b>	<b>471.47</b>

8. प्रति इक्विटी शेयर आय:

(ए) मूल रुपये  
(बी) पतला रुपया

31

127.50  
127.50

283.47  
283.47

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले संलग्न नोट्स देखें

एस.बी. के लिए बिलिमोरिया एंड कंपनी एलएलपी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह./-

ह./-

ह./-

ह./-

जितेंद्र अग्रवाल

साझेदार

स्थान: गुरूग्राम

दिनांक:31/08/2024

कपिल भारद्वाज

निदेशक

डीआईएन: 09377124

स्थान: मेरठ

दिनांक:31/08/2024

अंजू देवी

निदेशक मुख्य

डीआईएन: 09377125

स्थान: मेरठ

दिनांक:31/08/2024

डॉ. हितेश पूनिया

कार्यकारी एवं निदेशक

डीआईएन: 09443126

स्थान: मेरठ

दिनांक:31/08/2024

ह./-

श्रीमन नारायण पाण्डेय

कंपनी सचिव

एम. नं. F7763

स्थान: मेरठ

दिनांक:31/08/2024

ह./-

प्रकाश चंद्र

प्रमुख - लेखा एवं वित्त

स्थान: मेरठ

दिनांक:31/08/2024

हरित प्रदेश मिल्क प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड  
सीआईएन :U01110UP2021PTC154607  
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ  
लाखों रुपए में

वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुआ  
लाखों रुपए में

ए. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
कर पश्चात लाभ	827.08	471.47
इनके लिए समायोजन:		
कर व्यय	285.70	163.49
वित्त लागत	109.22	98.71
ब्याज आय	(170.66)	(42.96)
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	28.01	22.37
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को बट्टे खाते में डाला गया	1.64	0.00
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	367.23	284.42
<b>कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ</b>	<b>1,448.22</b>	<b>997.50</b>
कार्यशील पूंजी में संचलन के लिए समायोजन:		
(वृद्धि)/इन्वेंट्री में कमी	(55.39)	(97.55)
(वृद्धि)/व्यापार प्राप्य में कमी	(349.82)	(529.68)
(वृद्धि)/अल्पकालिक ऋणों और अग्रिमों में कमी	(36.90)	(11.24)
(वृद्धि)/अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी	3.79	(3.79)
व्यापार देय में वृद्धि/(कमी)	854.74	625.50
अन्य चालू देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	1,386.05	90.78
अन्य दीर्घकालिक देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	6.83	427.20
<b>परिचालन से उत्पन्न नकदी</b>	<b>3,257.52</b>	<b>1,498.72</b>
भुगतान किया गया शुद्ध आयकर	(469.29)	(33.17)
<b>परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह - (ए)</b>	<b>2,788.23</b>	<b>1,465.55</b>
बी. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद (प्राप्त पूंजीगत अनुदान का शुद्ध)	(27.23)	(1,590.06)
ब्याज आय	118.02	5.53
सावधि जमा से शुद्ध आय	(2007.90)	(1,701.23)
<b>निवेश गतिविधियों से/(इनमें प्रयुक्त) शुद्ध नकदी प्रवाह - (बी)</b>	<b>(1917.11)</b>	<b>(3,285.76)</b>
सी. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
इक्विटी शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त आय (भुगतान का शुद्ध)	359.84	400.66
उधार से आय (दीर्घकालिक)	709.51	1,502.71
शेयर आवेदन राशि प्राप्त	34.46	129.09
भुगतान किया गया लाभांश (लाभांश कर सहित)	(35.27)	-
भुगतान की गई वित्त लागत	(109.22)	(84.09)
<b>वित्तपोषण गतिविधियों में उपयोग किया जाने वाला शुद्ध नकदी प्रवाह - (सी)</b>	<b>959.32</b>	<b>1,948.37</b>
<b>नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि (ए+बी+सी)</b>	<b>1830.43</b>	<b>128.16</b>
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	199.37	71.21
<b>वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष</b>	<b>2,029.80</b>	<b>199.37</b>
<b>नकद और नकद समतुल्य के घटक इस प्रकार हैं:</b>		
बैंकों के पास शेष:		
-चालू खातों में	5.54	199.37
-बचत खातों में	2,024.26	-
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी और नकदी समकक्ष	2,029.80	199.37
जमा (3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता)	3,709.13	1,701.23
निर्धारित खातों में		
अवैतनिक लाभांश खाता	0.11	
<b>बैलेंस शीट के अनुसार नकद और नकद समकक्ष (नोट 18)</b>	<b>5,739.04</b>	<b>1,900.60</b>

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले संलग्न नोट्स देखें

एस.बी. के लिए बिलिमोरिया एंड कंपनी एलएलपी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

ह./-

जितेंद्र अग्रवाल

साझेदार

स्थान: गुरुग्राम

दिनांक :31/08/2024

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह./-

कपिल भारद्वाज

निदेशक

डीआईएन: 09377124

स्थान: मेरठ

दिनांक:31/08/2024

ह./-

अंजू देवी

निदेशक मुख्य

डीआईएन: 09377125

स्थान: मेरठ

दिनांक:31/08/2024

ह./-

डॉ. हितेश पूनिया

कार्यकारी एवं निदेशक

डीआईएन: 09443126

स्थान: मेरठ

दिनांक:31/08/2024

ह./-

श्रीमन नारायण पाण्डेय

कंपनी सचिव

एम. नं. F7763

स्थान: मेरठ

दिनांक:31/08/2024

ह./-

प्रकाश चंद्र

प्रमुख - लेखा एवं वित्त

स्थान: मेरठ

दिनांक:31/08/2024

हरित प्रदेश मिलक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड  
सीआईएन :U01110UP2021PTC154607

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

**1. कॉर्पोरेट जानकारी**

हरित प्रदेश मिलक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") को 26 अक्टूबर, 2021 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत इसके निगमन प्रमाण पत्र दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 के तहत निगमित किया गया था।

कंपनी ने उत्तर प्रदेश राज्य में दूध खरीद कार्य शुरू कर दिया है। कंपनी उत्तर प्रदेश के गांवों में 'मिल्क फूलिंग पॉइंट्स' (एमपीपी) के माध्यम से दूध उत्पादकों से सीधे दूध खरीदती है और अपने ग्राहकों को बेचती है। कंपनी अपने सदस्यों को घी और पशु आहार का भी व्यापार करती है।

**2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां इस प्रकार हैं:

**(ए) लेखांकन का आधार**

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करने के लिए भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएपी) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जो कंपनी (लेखा) नियम, 2015 के नियम 7 और कंपनी अधिनियम, 2013 ("2013 अधिनियम") के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पढ़े जाते हैं। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत प्रोद्भवन के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

**(बी) अनुमानों का उपयोग**

भारतीय जीएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) की रिपोर्ट की गई मात्रा और रिपोर्ट की गई आय और व्यय में अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। इन अनुमानों के कारण भविष्य के परिणाम भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/भौतिक रूप में सामने आते हैं।

**(सी) नकदी और नकदी समकक्ष (कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रयोजनों के लिए)**

नकदी में हाथ में नकदी और बैंकों के पास मांग जमा शामिल हैं। नकद समतुल्य अल्पकालिक शेष (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल निवेश हैं जो आसानी से ज्ञात मात्रा में नकदी में परिवर्तनीय होते हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन होते हैं।

**(डी) नकदी प्रवाह विवरण**

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है, जिससे असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ / (हानि) को गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभाव और अतीत या भविष्य की नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी स्थगन या संचय के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के संचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह को उपलब्ध जानकारी के आधार पर अलग किया जाता है।

**(ई) राजस्व मान्यता**

बिक्री को खरीदारों को स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार के हस्तांतरण पर मान्यता दी जाती है, जो आम तौर पर ग्राहकों को माल की डिलीवरी के साथ मेल खाता है।

**(एफ) अन्य आय**

जमा पर ब्याज आय को संचय के आधार पर पहचाना जाता है।

**(जी) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति**

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को संचित मूल्यहास और हानि हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर ले जाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में इसकी खरीद मूल्य, किसी भी व्यापार छूट और छूट, किसी भी आयात शुल्क और अन्य कर (कर अधिकारियों से बाद में वसूली योग्य के अलावा), परिसंपत्ति को उसके उद्देश्य के लिए तैयार करने पर कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार व्यय शामिल है। उपयोग, अन्य आकस्मिक खर्च और योग्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के कारण उधार पर ब्याज उस तारीख तक, जिस तारीख तक परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद के बाद उस पर होने वाले व्यय को केवल ऐसे व्यय से पूंजीकृत किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी संपत्ति से भविष्य के लाभों में उसके प्रदर्शन के पिछले मूल्यांकन मानक से अधिक वृद्धि होती है।

**(एच) मूल्यहास और परिशोधन**

मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवन के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया गया है, सिवाय निम्नलिखित श्रेणियों की परिसंपत्तियों के संबंध में, जिनके मामले में परिसंपत्तियों का जीवन तकनीकी सलाह के आधार पर निम्नानुसार आकलित किया गया है, जिसमें परिसंपत्ति की प्रकृति, परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोग, परिसंपत्ति की परिचालन स्थिति, प्रतिस्थापन का पिछला इतिहास, प्रत्याशित तकनीकी परिवर्तन, निर्मित वारंटी और रखरखाव सहायता आदि को ध्यान में रखा गया है।

अनुसूची II में निर्धारित दरों के अलावा अन्य मूल्यहास चार्ज करने के लिए विचार किया जाने वाला उपयोगी जीवन इस प्रकार है:

**विवरण**

संयंत्र एवं उपकरण

दूध के डिब्बे

बैटरी

बिल्डिंग एवं लीजहोल्ड परिसर

फर्नीचर और फिक्सचर

कंप्यूटर

कार्यालय उपकरण

सॉफ्टवेयर

**उपयोगी जीवन  
(वर्षों में)**

10

4

5

5

10

3

5

6

कंपनी ने मद्र डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड ("एमडीएफवीपीएल) से मूर्त संपत्तियाँ हासिल की हैं, जिनका उपयोग एमडीएफवीपीएल ने अपने व्यवसाय संचालन के लिए किया था। उन परिसंपत्तियों पर मूल्यहास उन परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन पर लगाया जा रहा है।

मूल्यहास मूर्त संपत्तियों के जुड़ने की तारीख से आनुपातिक रूप से प्रदान किया जाता है।

#### (i) सूची

इन्वेंटरी में व्यापार किए गए सामान और स्टोर स्पेयर शामिल हैं। जहाँ आवश्यक हो, अप्रचलन और अन्य नुकसानों को ध्यान में रखते हुए इन्वेंटरी का मूल्यांकन लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से कम पर किया जाता है। लागत का निर्धारण भारत औसत विधि का उपयोग करके किया जाता है। लागत में इन्वेंटरी को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाले सभी खर्च शामिल हैं। व्यापार किए गए सामान में ओवरहेड्स का उचित अनुपात शामिल होता है।

#### (जे) कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति शामिल हैं।

#### i. परिभाषित योगदान योजनाएँ

भविष्य निधि में कंपनी के योगदान को परिभाषित योगदान योजना के रूप में माना जाता है और कर्मचारियों द्वारा सेवाएँ प्रदान किए जाने पर आवश्यक योगदान की राशि के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में शुल्क लिया जाता है।

#### ii. परिभाषित लाभ योजनाएँ

ग्रेच्युटी को परिभाषित लाभ योजना के रूप में माना जाता है। बैलेंस शीट की तारीख पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी प्रदान की जाती है। रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, 'प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट' पद्धति के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित वृद्धिशील देनदारी, लाभ और हानि खाते के विवरण में ली जाती है। बीमांकिक लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

#### iii. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले भुगतान की जाने वाली अपेक्षित अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि को उस वर्ष के दौरान मान्यता दी जाती है जब कर्मचारी सेवाएँ प्रदान करते हैं। इन लाभों में प्रदर्शन प्रोत्साहन और क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति शामिल है जो उस अवधि के अंत के बाद बारह महीनों के भीतर होने की उम्मीद है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवाएँ प्रदान करता है।

#### iv. दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

क्षतिपूर्ति सहित अनुपस्थिति, जो कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवाएँ प्रदान करने की अवधि की समाप्ति के बाद बारह महीनों के भीतर होने की उम्मीद नहीं है, को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर बैलेंस शीट की तारीख पर परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य पर देयता के रूप में मान्यता दी जाती है।

#### (के) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर पतला आय की गणना कर के बाद शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है, जैसा कि सभी पतला संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के अनुसार समायोजित किया जाता है, सिवाय इसके कि जहाँ परिणाम-विरोधी होते हैं।

#### (एल) आय पर कर

आयकर में वर्तमान कर और स्थगित कर शामिल हैं। वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय कर की राशि है जो लागू कर दरों और आयकर अधिनियम, 1961 और अन्य लागू कर कानूनों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाती है।

आस्थगित कर को समय के अंतर पर मान्यता दी जाती है; कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच का अंतर जो एक अवधि में उत्पन्न होता है और एक या अधिक बाद की अवधि में उलटने में सक्षम होता है। आस्थगित कर को कर दरों और रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है। आस्थगित कर देनदारियों को सभी समय अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अनवशोषित मूल्यहास के अलावा अन्य मदों के समय के अंतर के लिए पहचाना जाता है और घाटे को केवल उस हद तक आगे बढ़ाया जाता है जहाँ उचित निश्चितता मौजूद होती है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। हालाँकि, यदि अवशोषित मूल्यहास है और घाटे को आगे बढ़ाया जाता है, तो आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है, जब इस बात के पुख्ता सबूतों के साथ आभासी निश्चितता हो कि ऐसी परिसंपत्तियों का एहसास करने के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई की जाती है यदि ऐसी वस्तुएँ समान कर कानूनों द्वारा लगाए गए आय पर करों से संबंधित हैं और कंपनी के पास इस तरह के सेट ऑफ के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है।'

#### (एम) उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागत में ब्याज और सहायक लागत शामिल होती है। उधार लेने की लागत जो किसी योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होती है, जो कि योग्य परिसंपत्ति के निर्माण/विकास से संबंधित गतिविधियों की शुरुआत से लेकर ऐसी परिसंपत्ति के पूंजीकरण की तारीख तक की अवधि से संबंधित होती है, को उस लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। संपत्ति। अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे खर्च किए गए हैं।

#### (एन) संपत्ति की हानि

प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर, कंपनी यह निर्धारित करने के लिए अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के वहन मूल्यों की समीक्षा करती है कि क्या कोई संकेत है कि उन परिसंपत्तियों को हानि हानि हुई है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो हानि हानि की सीमा निर्धारित करने के लिए परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। पुनर्प्राप्त करने योग्य राशि परिसंपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य और उपयोग में मूल्य से अधिक है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग और उसके निपटान से अपेक्षित अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व-छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है।

हानि प्रतिवर्तन को लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

#### (ओ) खंड जानकारी

व्यवसाय खंड (प्राथमिक)

कंपनी प्रमुख स्रोत, जोखिमों और रिटर्न की प्रकृति और आंतरिक संगठन और प्रबंधन संरचना के आधार पर प्राथमिक खंडों की पहचान करती है। कंपनी मुख्य रूप से दूध और दूध उत्पादों की खरीद और बिक्री में लगी हुई है। इसे एकल व्यवसाय खंड माना गया है।

#### **(पी) प्रावधान और आकस्मिकताएँ**

एक प्रावधान तब मान्यता प्राप्त होता है जब कंपनी पर पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों (कर्मचारी लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्य से छूट नहीं दी जाती है और बैलेंस शीट की तारीख पर दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है। आकस्मिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। आकस्मिक देनदारियों का खुलासा खातों के नोट्स में किया जाता है।

#### **(क्यू) पट्टे**

पट्टा व्यवस्था जहां किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित जोखिम और पुरस्कार काफी हद तक पट्टादाता के पास निहित होते हैं, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में मान्यता दी जाती है। परिचालन पट्टों के तहत पट्टा किराया, पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि खाते के विवरण में पहचाना जाता है।

#### **(आर) संचालन चक्र**

कंपनी के उत्पादों/गतिविधियों की प्रकृति और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकदी या नकद समकक्षों में उनकी वसूली के बीच के सामान्य समय के आधार पर, कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में निर्धारित किया है। और गैर-वर्तमान।

#### **(एस) अनुदान**

सरकारी अनुदान और सब्सिडी को तब मान्यता दी जाती है जब यह उचित आश्वासन हो कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान/सब्सिडी प्राप्त होगी। मूल्यहास योग्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित सरकारी अनुदान को आस्थगित अनुदान के रूप में माना जाता है, जिसे परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, यानी, ऐसे अनुदान से प्राप्त संपत्ति पर मूल्यहास शुल्क होता है। आस्थगित अनुदान से विनियोजित किया गया और कम मूल्यहास शुल्क के माध्यम से लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई।

राजस्व सरकारी अनुदान और सब्सिडी को उन लागतों के साथ मिलान करने के लिए आवश्यक अवधियों में आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसके लिए उन्हें व्यवस्थित आधार पर क्षतिपूर्ति करने का इरादा है और संबंधित व्यय की रिपोर्टिंग में कटौती की जाती है।

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड  
सीआईएन :U01110UP2021PTC154607

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स  
31 मार्च, 2024 तक

3. शेयर पूंजी

31 मार्च, 2023 तक

	शेयर की संख्या लाखों में	राशि रूपये लाखों में	शेयर की संख्या लाखों में	राशि रूपये लाखों में
(ए) अधिकृत शेयर पूंजी				
रुपये के इक्विटी शेयर. 100 प्रत्येक	10.00	1,000.00	10.00	1,000.00
(बी) जारी, सब्सक्राइब और पूरी तरह से भुगतान की गई शेयर पूंजी				
रुपये के इक्विटी शेयर. 100 प्रत्येक	9.36	935.99	4.42	442.38

नीचे नोट (i) से (v) देखें:

(i) शेयरों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध

कंपनी ने 100 रुपये अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों की एक श्रेणी जारी की है। प्रत्येक सदस्य को एक वोट का अधिकार है। सदस्य कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुसार सीमित रिटर्न और बोनस के हकदार हैं।

परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक सभी पसंदीदा देनदारियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के पात्र होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

(ii) वर्ष की शुरुआत और अंत में शेयरों की संख्या और बकाया राशि का समाधान:

विवरण	31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2023 तक	
	शेयर की संख्या लाखों में	राशि रूपये लाखों में	शेयर की संख्या लाखों में	राशि रूपये लाखों में
वर्ष की शुरुआत में बकाया शेयर	4.42	442.39	0.41	41.72
जोड़े: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	5.45	544.77	4.06	406.11
घटाएँ: वर्ष के दौरान रद्द/सरेंडर किए गए शेयर	0.51	51.17	0.05	5.45
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	9.36	935.99	4.42	442.38

(iii) किसी भी सदस्य के पास कंपनी की शेयर पूंजी का 5% या अधिक हिस्सा नहीं है।

(iv) वर्ष और किसी भी पूर्व वर्ष के दौरान नकद के अलावा या बोनस शेयरों के माध्यम से कोई भी शेयर जारी नहीं किया गया है।

(v) प्रमोटरों की शेयर होल्डिंग का विवरण:

क्र.स	प्रमोटर का नाम	प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर के रूप में		प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर के रूप में		% परिवर्तन साल के दौरान
		31 मार्च, 2024		31 मार्च, 2023		
		शेयरों की संख्या	कुल शेयर का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयर का %	
1	अंकुर कुमार	63	0.006737%	22	0.005%	-0.002%
2	संजीव	13	0.00139%	13	0.003%	-0.002%
3	जीतेन्द्र कुमार	56	0.00598%	46	0.010%	-0.004%
4	शैलेन्द्र	31	0.00331%	24	0.005%	-0.002%
5	प्रदीप कुमार	34	0.00363%	24	0.005%	-0.002%
6	अनिल कुमार	113	0.01207%	66	0.015%	-0.003%
7	अंजू देवी	33	0.00353%	24	0.005%	-0.002%
8	वीरेंद्र	37	0.00395%	31	0.007%	-0.003%
9	कपिल भारद्वाज	45	0.00481%	23	0.005%	-0.000%
10	सतीश त्यागी	21	0.00224%	21	0.005%	-0.003%
	<b>कुल</b>	<b>446</b>		<b>294</b>		

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

4. भंडार और अधिशेष	31 मार्च को, 2024	31 मार्च को, 2023
	रुपए लाखों में	रुपए लाखों में
<b>(ए) लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष</b>		
प्रारंभिक शेष	500.09	28.62
जोड़ें: वर्ष के लिए शुद्ध लाभ	827.08	471.47
कम:		
(i) वर्ष के लिए सदस्यों को अंतिम सीमित रिटर्न (लाभांश)।	35.38	-
समापन शेष	1,291.79	500.09
	<b>1,291.79</b>	<b>500.09</b>
<b>5. आस्थगित अनुदान</b>		
(ए) प्रारंभिक शेष	24.46	-
(बी) वर्ष के दौरान उपयोग किया गया पूंजीगत अनुदान (नोट 32 देखें)	22.42	24.46
(बी) कम: पूंजीगत अनुदान से अर्जित संपत्ति पर मूल्यहास (नोट 14 देखें)	(3.32)	-
	<b>43.56</b>	<b>24.46</b>
(क) वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने अनुदान राशि से 24.46 लाख रुपये की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कुछ वस्तुएँ खरीदी हैं। ये वस्तुएँ 31 मार्च, 2023 तक प्रगति पर पूंजीगत कार्य में पड़ी थीं। इन परिसंपत्तियों को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पूंजीकृत किया गया।		
(ख) उपर्युक्त के अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने अनुदान राशि से 22.42 लाख रुपये की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कुछ वस्तुएँ भी खरीदी और पूंजीकृत की हैं। इसलिए, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदान राशि से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में कुल वृद्धि 46.88 लाख रुपये है।		
<b>6. दीर्घकालिक उधार</b>		
सुरक्षित ऋण		
(ए) सावधि ऋण		
(i) मदर डेयरी से (नोट संख्या 6.1 देखें)	1,502.71	1,502.71
(ii) एनडीडीबी से ऋण (नोट संख्या 6.2 देखें)	709.51	-
घटाएँ: दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता (नोट 10 देखें)	(1206.89)	-
	<b>1,005.33</b>	<b>1,502.71</b>

6.1.

- (ए) 1,788 लाख रुपये का सुरक्षित ऋण. वित्तीय वर्ष 2021-22 में मदर डेयरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड ("एमडीएफवीपीएल") द्वारा स्वीकृत किए गए थे।  
(बी) 1,502.71 लाख रुपये की राशि. वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष) 2022-23 में रुपये का सुरक्षित ऋण प्राप्त हुआ था। ऋण वित्त वर्ष 2024-25 से शुरू होकर 3 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाएगा।  
(सी) ऋण पर फ्लोटिंग दर पर ब्याज लगता है जो पांच साल की सरकारी सुरक्षा की प्रचलित उपज से कम नहीं होगा।  
(डी) एमडीएफवीपीएल के पास कंपनी की सभी वर्तमान और भविष्य की अचल चल संपत्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार होगा।

- 6.2.(क). राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में जेआईसीए परियोजना के तहत 1023.86 लाख रुपये का सावधि ऋण स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 31 मार्च, 2024 तक कंपनी को 709.51 लाख रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है।  
(ख). ऋण पर 1.50% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगता है और इसे पहली बार जारी किए जाने की तिथि से मूलधन की अदायगी पर 2 वर्ष की स्थगन अवधि के साथ 10 वर्षों की अवधि के भीतर 96 समान मासिक किश्तों में चुकाया जाना है। मूलधन और ब्याज की अदायगी मासिक आधार पर की जानी है।  
(ग). इसके अलावा, कंपनी ने ऋण स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट शर्तों पर विचार करते हुए 705.99 लाख रुपये को अल्पकालिक उधार के रूप में वर्गीकृत किया है।  
(घ). एनडीडीबी के पास कंपनी की सभी वर्तमान और भविष्य की अचल चल परिसंपत्तियों पर समान रूप से प्रथम प्रभार होगा।

**7. आस्थगित कर संपत्ति/(देनदारियाँ) (शुद्ध)**

(ए) आस्थगित कर देनदारियों का गठन करने वाली वस्तुओं का कर प्रभाव:		
i. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के बुक बैलेंस और टैक्स बैलेंस के बीच अंतर पर	28.09	(10.16)
(बी) आस्थगित कर संपत्ति बनाने वाली वस्तुओं का कर प्रभाव:		
i. क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति और उपदान के लिए प्रावधान	13.09	6.04
<b>शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति/(देनदारियाँ)</b>	<b>41.18</b>	<b>(4.12)</b>
<b>8. अन्य दीर्घकालिक देनदारियाँ</b>		
(ए) सुरक्षा जमा	434.03	427.20
	<b>434.03</b>	<b>427.20</b>

### 9. दीर्घकालिक प्रावधान

(ए) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान:		
(i) मुआवजे वाली अनुपस्थिति के लिए	29.22	14.68
(ii) ग्रेच्युटी के लिए	12.90	6.23
	<b>42.12</b>	<b>20.91</b>

### अल्पावधि उधार

#### 10. असुरक्षित ऋण

दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता (नोट 6 देखें)		
(i) मदर डेयरी से	705.99	-
(ii) एनडीडीबी से	500.90	-
	<b>1206.89</b>	<b>-</b>

नोट: जेआईसीए परियोजनाओं के अंतर्गत एनडीडीबी से 709.51 रुपये का ऋण प्राप्त हुआ, जिसमें से 31 मार्च 2024 तक 705.99 रुपये अप्रयुक्त थे और कुल 1502.70 रुपये के ऋण में से 500.90 रुपये एमडीएफवीपीएल को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान देय हैं।

#### 11 व्यापार देय

(स्वीकृतियों के अलावा)		
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया (नोट 36 देखें)	18.34	64.51
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर अन्य लेनदारों का कुल बकाया	2,414.56	1,513.65
	<b>2,432.90</b>	<b>1,578.16</b>

#### 11.1 व्यापार देय आयु निर्धारण अनुसूची

रुपये लाखों में

विवरण	31 मार्च, 2024 तक भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	1 से कम वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 से अधिक साल	
(i) एमएसएमई	18.34	-	-	-	18.34
(ii) अन्य व्यापार देय	2,414.56	-	-	-	2,414.56
(iii) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य व्यापार देय	-	-	-	-	-
<b>कुल</b>	<b>2,432.90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,432.90</b>

विवरण	31 मार्च, 2023 तक भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	1 से कम वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 से अधिक साल	
(i) एमएसएमई	64.51	-	-	-	64.51
(ii) अन्य	1,513.65	-	-	-	1,513.65
(iii) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
<b>कुल</b>	<b>1,578.16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,578.16</b>

#### 12. अन्य वर्तमान देनदारियां

31 मार्च, 2024  
लाखों रुपए में

31 मार्च, 2023  
लाखों रुपए में

ए. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद के लिए देय	15.26	0.20
बी. प्राप्त अनुदान (उपयोग का शुद्ध) (नोट 32 देखें)	1,301.68	-
सी. वैधानिक दायित्व	82.10	25.33
डी. सुरक्षा जमा	85.64	63.22
ई. कर्मचारी व्यय देय	22.24	17.06
एफ. अवैतनिक लाभांश	0.11	-
	<b>1507.03</b>	<b>105.81</b>

### 13. अल्पावधि प्रावधान

(ए) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
(i) मुआवजे वाली अनुपस्थिति के लिए	8.02	3.06
(ii) ग्रेच्युटी के लिए	1.85	0.01
(बी) आयकर हेतु प्रावधान (321.04 लाख रुपये के अग्रिम कर को छोड़कर)	9.96	148.13
	<b>19.83</b>	<b>151.20</b>

### 14. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति

विवरण	सकल अवरोध				संचित मूल्यहास				नेट ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2023 तक	परिवर्धन	निपटान	31 मार्च, 2024 तक	1 अप्रैल, 2023 तक	मूल्यहास वर्ष के लिए शुल्क	निपटान पर	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
ए										
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (स्वामित्व वाली)										
पट्टाधृत सुधार	-	76.18	-	76.18	-	12.63	-	12.63	63.55	-
संयंत्र और उपकरण	1,434.56 (1,423.02)	56.94 (12.39)	2.21 (0.85)	1,489.29 (1,434.56)	273.55 (8.00)	325.68 (265.55)	0.58	598.65 (273.55)	890.64 (1,161.01)	1,161.01
फ़र्निचर व फिक्सचर	2.04 (1.25)	3.91 (0.79)	-	5.95 (2.04)	0.29 (0.01)	0.44 (0.28)	-	0.73 (0.29)	5.22 (1.75)	1.75
कंप्यूटर	79.04 (10.67)	- (68.37)	-	79.04 (79.04)	17.69 (0.11)	29.51 (17.58)	-	47.20 (17.69)	31.84 (61.35)	61.35
कार्यालय उपकरण	4.91 (0.62)	3.60 (4.29)	-	8.51 (4.91)	0.95 (0.01)	1.83 (0.94)	-	2.78 (0.95)	5.73 (3.96)	3.96
कुल	<b>1,520.55</b>	<b>140.63</b>	<b>2.21</b>	<b>1,658.97</b>	<b>292.48</b>	<b>370.09</b>	<b>0.58</b>	<b>661.99</b>	<b>996.98</b>	<b>1,228.07</b>
बी										
अमूर्त संपत्ति										
सॉफ्टवेयर	12.14	4.15 (12.14)	-	16.29 (12.14)	0.07	0.46 (0.07)	-	0.53 (0.07)	15.76 (12.07)	12.07
कुल	<b>12.14</b>	<b>4.15</b>	-	<b>16.29</b>	<b>0.07</b>	<b>0.46</b>	-	<b>0.53</b>	<b>15.76</b>	<b>12.07</b>
सी										
पूँजीगत कार्य प्रगति पर है										
लीज़होल्ड परिसर	-	(55.60)	-	(55.60)	-	-	-	-	(55.60)	55.60
खाद प्रबंधन संयंत्र*	-	24.46	-	24.46	-	-	-	-	24.46	24.46
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>80.06</b>

\*\* यह पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त सरकारी अनुदान से अर्जित परिसंपत्तियों को दर्शाता है। (नोट 32 देखें)

वर्ष समाप्त हुआ  
31 मार्च, 2024

वर्ष समाप्त हुआ  
31 मार्च, 2023

डी. मूल्यहास और परिशोधन:		
मूर्त संपत्ति	370.09	284.35
अमूर्त संपत्ति	0.46	0.07
कम: से संबंधित मूल्यहास अनुदान पर अर्जित संपत्ति	(3.32)	-
	<b>367.23</b>	<b>284.42</b>

एमडीएफवीपीएल और एनडीडीबी के पास कंपनी की सभी वर्तमान और भविष्य की अचल चल संपत्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार होगा।

टिप्पणी:

14.1 पूँजी अनुदान से खरीदी गई तथा उपरोक्त अनुसूची में शामिल परिसंपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है (नोट 32 तथा नोट 5 देखें):

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यहास				नेट ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2023 तक	परिवर्धन	निपटान		1 अप्रैल, 2023 तक	परिवर्धन	निपटान		1 अप्रैल, 2023 तक	परिवर्धन
मूर्त संपत्ति :										
संयंत्र और उपकरण		44.57		44.57		2.91		2.91	41.66	
फर्निचर व फिक्सचर		0.06		0.06		0.01		0.01	0.05	
कार्यालय उपकरण		2.25		2.25		0.40		0.40	1.85	
कुल		<b>46.88</b>		<b>46.88</b>		<b>3.32</b>		<b>3.32</b>	<b>43.56</b>	

**14.2** पूंजी-कार्य-प्रगति आयु निर्धारण अनुसूची:

विवरण	31 मार्च, 2023 तक				कुल
	सीडब्ल्यूआईपी में अवधि के लिए राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएँ					
लीजहोल्ड बिल्डिंग में सुधार	55.60	-	-	-	55.60
खाद प्रबंधन संयंत्र	24.46	-	-	-	24.46

**14.3** पूंजीगत कार्य-प्रगति का समापन कार्यक्रम, जो अतिदेय है या मूल योजना की तुलना में इसकी लागत अधिक हो गई है

विवरण	31 मार्च, 2023 तक				कुल
	में पूरा किया जाना है				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएँ					
लीजहोल्ड बिल्डिंग में सुधार	55.60	-	-	-	55.60

**14.4** कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछली अवधि के हैं।

31 मार्च को, 2024  
रुपए लाखों में

31 मार्च तक, 2023  
रुपए लाखों में

**15. दीर्घावधि ऋण और अग्रिम**

(असुरक्षित, अच्छा माना जाता है)		
(ए) सुरक्षा जमा	3.93	-
	<b>3.93</b>	-

**16. भण्डारण**

(कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर)

(ए) पारगमन में व्यापारित माल	188.25	134.50
(बी) व्यापारित माल	18.87	12.11
(सी) भंडार और पुर्जे	43.30	48.42
	<b>250.42</b>	<b>195.03</b>

## 17. व्यापार प्राप्य

(i) असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	1,770.00	1,420.18
	1,770.00	1,420.18

## 17.1 व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची 31 मार्च 2024 तक

विवरण	भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
	6 से कम महीना	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य						
(ए) अच्छा माना जाता है	1,770.00	-	-	-	-	1,770.00
(बी) संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-
(ii) विवादित व्यापार प्राप्य						
(ए) अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
(बी) संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-
<b>कुल</b>	<b>1,770.00</b>	-	-	-	-	<b>1,770.00</b>

## 17.2 व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची 31 मार्च 2023 तक

विवरण	भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया			कुल
	6 से कम महीना	6 से कम महीना	6 से कम महीना	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य				
(ए) अच्छा माना जाता है	1,420.18	-	-	1,420.18
(बी) संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-
(ii) विवादित व्यापार प्राप्य				
(ए) अच्छा माना जाता है	-	-	-	-
(बी) संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-
<b>कुल</b>	<b>1,420.18</b>	-	-	<b>1,420.18</b>

मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड  
सीआईएन :U01110UP2021PTC154607

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

31 मार्च, 2024 तक  
रुपए लाखों में

31 मार्च, 2023 तक  
रुपए लाखों में

18. नकद और नकद समकक्ष

(ए) बैंक के साथ संतुलन		
(i) चालू खातों में	5.54	199.37
(ii) बचत खातों में	2,024.26	-
एएस-3 के अनुसार नकद और नकद समकक्ष - नकदी प्रवाह विवरण	<b>2029.80</b>	<b>199.37</b>
(बी) अन्य बैंक शेष		
(i) जमा खातों में		
-3 महीने से अधिक और 12 महीने तक की मूल परिपक्वता	3,709.13	1,701.23
(ii) निर्धारित खातों में		
- अवैतनिक लाभांश खाते	0.11	-
	<b>5,739.04</b>	<b>1,900.60</b>

19. अल्पावधि ऋण और अग्रिम

(असुरक्षित, अच्छा माना जाता है)

(ए) विक्रेताओं को अग्रिम	35.04	0.99
(बी) प्रीपेड खर्च	11.51	6.56
(सी) एनडीडीबी से प्राप्य अनुदान		
(i) एमएमपी परियोजना (नोट 32 देखें)	-	6.03
	<b>46.55</b>	<b>13.58</b>

20. अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(असुरक्षित, अच्छा माना जाता है)

(ए) सुरक्षा जमा	-	3.79
(बी) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज	90.07	37.43
	<b>90.07</b>	<b>41.22</b>

31 मार्च, 2024 तक  
रुपए लाखों में

31 मार्च, 2023 तक  
रुपए लाखों में

21. संचालन से राजस्व

उत्पादों की बिक्री

i. कच्चे दूध की बिक्री	43,740.38	31,086.52
ii. पशु आहार की बिक्री	1,436.93	688.44
iii. घी की बिक्री	106.41	80.15
iv. एमएमपी की बिक्री	4.73	-
	<b>45,288.45</b>	<b>31,855.11</b>

**22. अन्य आय**

(ए) ब्याज आय		
(i) बैंकों में जमा राशि पर	170.66	42.96
(बी) अन्य गैर-परिचालन आय		
(i) सदस्यता शुल्क	16.92	15.68
(ii) बायो गैस संयंत्र की बिक्री पर प्रोत्साहन	3.19	-
(iii) विविध आय	36.99	6.01
	<b>227.76</b>	<b>64.65</b>

**23. व्यापारिक वस्तुओं की खरीद**

(ए) कच्चे दूध की खरीद	40,731.56	28,830.59
(बी) पशु आहार की खरीद	1,354.29	639.85
(सी) घी की खरीद	100.89	75.68
(डी) एमएमपी की खरीद	4.04	-
	<b>42,190.78</b>	<b>29,546.12</b>

**24. व्यापारिक वस्तुओं की सूची में परिवर्तन**

(ए) वर्ष की शुरुआत में सूची		
(i) स्टॉक-इन-ट्रेड	146.61	97.48
(बी) वर्ष के अंत में सूची	146.61	97.48
(i) स्टॉक-इन-ट्रेड	207.12	146.61
	207.12	146.61
<b>इन्वेंट्री में शुद्ध (वृद्धि)/कमी</b>	<b>(60.51)</b>	<b>(49.13)</b>

**25. कर्मचारी लाभ व्यय**

(ए) वेतन और मजदूरी	337.03	268.65
(बी) भविष्य निधि में योगदान (नोट 29 देखें)	19.95	16.51
(सी) ग्रेच्युटी व्यय (नोट 29 देखें)	10.65	4.55
(डी) कर्मचारी कल्याण व्यय	8.50	3.27
	<b>376.13</b>	<b>292.98</b>

हरित प्रौद्योगिकी  
मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड  
सीआईएन :U01110UP2021PTC154607

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

31 मार्च, 2024 तक  
रुपए लाखों में

31 मार्च, 2023 तक  
रुपए लाखों में

26. वित्त लागत

(ए) उधार पर ब्याज	108.02	83.55
(बी) करों के विलंबित भुगतान पर ब्याज	1.20	15.16
	<b>109.22</b>	<b>98.71</b>

27. अन्य व्यय

i स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की खपत	84.88	84.71
ii किराया	34.86	16.54
iii मरम्मत और रखरखाव - मशीनरी	77.04	118.60
iv बीमा शुल्क	18.15	12.00
v दरें एवं कर	11.27	8.08
vi वितरण, माल ढुलाई और अग्रेषण व्यय	336.95	349.14
vii आउटसोर्सिड जनशक्ति व्यय	341.27	275.28
viii कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	51.82	114.87
ix लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक (नीचे नोट (i) देखें)	18.56	15.61
x वाहन चलाने का व्यय	55.79	53.23
xi संचार व्यय	14.01	14.01
xii संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को बटुटे खाते में डाला गया	1.64	-
xiii मुद्रण एवं स्टेशनरी व्यय	7.51	9.54
xiiii यात्रा और परिवहन	6.12	2.08
xv कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व-सीएसआर	6.73	-
xvi सदस्य प्रोत्साहन	308.00	-
xvii विविध व्यय	45.98	38.01
	<b>1,420.58</b>	<b>1,111.70</b>

टिप्पणी:

(i) लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक में शामिल हैं:

ए. वैधानिक लेखापरीक्षा शुल्क	13.69	11.50
बी. टैक्स ऑडिट शुल्क	1.79	1.50
सी. जेब से खर्च	0.31	0.23
डी. उपरोक्त पर वस्तु एवं सेवा कर	2.78	2.38
	<b>18.57</b>	<b>15.61</b>

(ii) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय का विवरण:

ए. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	-	-
बी. वर्ष के दौरान खर्च की गई वास्तविक राशि:		
i) किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-
ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	6.73	-
	<b>6.73</b>	-

(iii) अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि

	-	-
--	---	---

(iv) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई अतिरिक्त राशि

	-	-
--	---	---

(v) आगामी वित्तीय वर्षों के लिए सेट ऑफ उपलब्ध

	-	-
--	---	---

(vi) सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति \*

\*कंपनी ने रुपये की राशि हस्तांतरित कर दी है। प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 6.73 लाख (पिछले वर्ष रु. शून्य)।

**वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स**

28. "कंपनी को 34.46 लाख रुपये (पिछले वर्ष 133.72 लाख रुपये) की शेयर आवेदन राशि प्राप्त हुई है, जिसके विरुद्ध कंपनी ने 25 मई 2024 को आयोजित बोर्ड मीटिंग में अगले वित्तीय वर्ष में 34.46 लाख रुपये के 34460 शेयर आवंटित किए हैं (पिछले वर्ष - 7 अप्रैल, 2023 को आयोजित बोर्ड मीटिंग में 133.72 लाख रुपये के 133726 शेयर आवेदन पत्र में निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवंटित किए गए थे।"

**29. कर्मचारी लाभ योजनाएँ:**

**परिभाषित-योगदान योजनाएँ**

कंपनी सभी कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि अंशदान करती है जो परिभाषित अंशदान योजना है। इस योजना के तहत, कंपनी को लाभों को निधि देने के लिए वेतन लागत का एक निर्दिष्ट प्रतिशत अंशदान करना आवश्यक है। कंपनी द्वारा इन योजनाओं के लिए देय अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट दरों पर हैं।

कंपनी ने लाभ और हानि विवरण में भविष्य निधि अंशदान के लिए 19.95 लाख रुपये (पिछले वर्ष 16.51 लाख रुपये) की पहचान की है।

**परिभाषित लाभ योजना**

कंपनी अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी योजना (एकमुश्त राशि) के रूप में परिभाषित-लाभ योजना प्रदान करती है। परिभाषित लाभ योजना के तहत लाभ सेवा के वर्षों और अलगाव से ठीक पहले कर्मचारी के मुआवजे पर आधारित है। ग्रेच्युटी योजना सभी कर्मचारियों को कवर करती है। बीमांकिक मूल्यांकन "प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट" पद्धति के आधार पर किया जाता है। परिवर्तित बीमांकिक धारणाओं के लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

निम्नलिखित तालिकाएँ ग्रेच्युटी के संबंध में परिभाषित लाभ योजना की स्थिति बताती हैं:

	वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2024 रुपये लाखों में	वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2023 रुपये लाखों में
<b>(ए) परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन</b>		
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6.24	1.69
ब्याज व्यय	0.38	0.13
पिछली सेवा लागत	-	-
वर्तमान सेवा लागत	8.03	5.41
भुगतान किया गया लाभ	(2.14)	-
बीमांकिक (लाभ)/हानि	2.24	(0.99)
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	<b>14.75</b>	<b>6.24</b>
<b>(बी) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि</b>		
परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	14.75	6.24
शुद्ध देनदारी/(संपत्ति) को बैलेंस शीट में मान्यता दी गई है	14.75	6.24
<b>(सी) लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय</b>		
वर्तमान सेवा लागत है	8.03	5.41
ब्याज लागत	0.38	0.13
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	2.24	(0.99)
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	<b>10.65</b>	<b>4.55</b>
<b>(डी) बैलेंस शीट समाधान</b>		
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6.24	-
उपरोक्तानुसार व्यय	10.65	4.55
कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	(2.14)	-
वर्ष के अंत में शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति)	<b>14.75</b>	<b>4.55</b>

**(ई) प्रमुख बीमाकिक धारणाएँ**

	31 मार्च, 2024 को वर्ष समाप्त हुआ रूपए लाखों में	31 मार्च, 2023 को वर्ष समाप्त हुआ रूपए लाखों में
छूट की दर	7.23%	7.35%
अपेक्षित वेतन वृद्धि	11.00%	10.00%
दुर्घटना दर (वर्षों में)	12.00%	10.00%
शेष कार्य जीवन	19.91	20.07
मृत्यु तालिका का उपयोग किया गया	आईएएल 2012-14	आईएएल 2012-14
	अंतिम	अंतिम

छूट की दर दायित्व की अनुमानित अवधि के लिए बैलेंस शीट की तारीख पर भारत सरकार की प्रतिभूतियों की प्रचलित बाजार पैदावार पर आधारित है जो कि शेष कामकाजी जीवन के बराबर है। भविष्य में वेतन वृद्धि के अनुमान पर मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति, वेतन वृद्धि और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

**(एफ) अनुभव अनुसार समायोजन**

	31 मार्च, 2024 को वर्ष समाप्त हुआ रूपए लाखों में	31 मार्च, 2023 को वर्ष समाप्त हुआ रूपए लाखों में	31 मार्च, 2023 को वर्ष समाप्त हुआ रूपए लाखों में
दायित्व का वर्तमान मूल्य	14.75	6.24	1.70
वित्तपोषित स्थिति	(14.75)	(6.24)	(1.70)
दायित्वों पर लाभ/(हानि)	2.24	0.99	-
योजना परिसंपत्तियों पर लाभ/(हानि)	-	-	-

**क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के लिए बीमाकिक धारणाएँ।**

(जी) मुआवजे की अनुपस्थिति के लिए दायित्व के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली बीमाकिक धारणाएँ वही हैं जो ऊपर बिंदु संख्या (ई) में उल्लिखित हैं।

30. रोजगार के दौरान और रोजगार के बाद कर्मचारी लाभ से संबंधित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ("कोड") को सितंबर 2020 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। संहिता को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, हालांकि, जिस तारीख को संहिता कब लागू होगी इसकी अधिसूचना अभी बाकी है। जब संहिता और उस पर नियम अधिसूचित किए जाएंगे तो कंपनी प्रभाव का आकलन करेगी और संहिता और उस पर नियम प्रभावी होने की अवधि में किसी भी संबंधित प्रभाव को रिकॉर्ड करेगी।

**31. प्रति इक्विटी शेयर आय विवरण**

विवरण	इकाई	31 को मार्च, 2024 वर्ष समाप्त हुआ	31 को मार्च, 2023 वर्ष समाप्त हुआ
कर पश्चात शुद्ध लाभ	रुपये लाख में	827.08	471.47
अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या	संख्या	648,672	166,318
इक्विटी शेयरों का नाममात्र मूल्य	रुपये	100	100
प्रति शेयर मूल आय	रुपये	127.50	283.47
प्रति शेयर पतला आय की गणना करने के लिए इक्विटी शेयरों का उपयोग किया जाता है	संख्या	648,672	166,318
प्रति शेयर पतला	आय	127.50	283.47

**32. सरकारी अनुदान का विवरण**

(ए) कंपनी ने किसानों के लिए अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के उद्देश्य से खाद प्रबंधन अर्थात् मवेशियों के गोबर के वैज्ञानिक उपयोग पर एक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और सस्टेनेबल प्लास एनर्जी फाउंडेशन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है, जिसका उद्देश्य किसानों द्वारा स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन के रूप में बायो-गैस का उपयोग और उर्वरक इनपुट के रूप में बायो-गैस घोल का उपयोग करना है। समझौते के हिस्से के रूप में, एनडीडीबी ने कंपनी को अनुदान प्रदान किया है।

(बी) कंपनी ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ एक समझौता किया है, और एनडीडीबी ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के तहत कंपनी को उक्त परियोजना में शामिल गतिविधियों/घटकों जैसे कि ए) दूध खरीद बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, बी) उत्पादकता बढ़ाना और सी) प्रशिक्षण और क्षमता विकास को पूरा करने के लिए "सहकारिता के माध्यम से डेयरी (डीटीसी)" योजना को लागू करने के लिए अनुदान प्रदान किया है।

खाद प्रबंधन संयंत्र (एमएमपी परियोजना), जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) परियोजना के लिए एनडीडीबी से प्राप्त अनुदान और इसके उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:

## विवरण

31 को मार्च, 2024  
वर्ष समाप्त हुआ  
रुपए लाखों में31 को मार्च, 2023  
वर्ष समाप्त हुआ  
रुपए लाखों में

विवरण	31 को मार्च, 2024 वर्ष समाप्त हुआ रुपए लाखों में	31 को मार्च, 2023 वर्ष समाप्त हुआ रुपए लाखों में
<b>एमएमपी और जेआईसीए परियोजनाएं</b>		
(i) प्रारंभिक शेष	(6.03)	-
ए. पूंजीगत संपत्ति के लिए	0.54	-
बी. राजस्व व्यय के लिए	(6.57)	-
(ii) वर्ष के दौरान प्राप्त हुए	1,366.78	30.10
ए. पूंजीगत संपत्ति के लिए	1,240.78	25.00
बी. राजस्व व्यय हेतु	126.00	5.10
(iii) फंड पर ब्याज	3.17	-
<b>(ए) कुल प्राप्त (i)+(ii)+(iii)</b>	<b>1,363.92</b>	<b>30.10</b>
(iv) कम: वर्ष के दौरान उपयोग/समायोजित (नीचे नोट देखें)		
ए. पूंजीगत संपत्तियों के लिए (नीचे नोट देखें)	22.42	24.46
बी. राजस्व व्यय हेतु	39.82	11.67
<b>(बी) कुल उपयोग</b>	<b>62.24</b>	<b>36.13</b>
(v) अग्रेषित शेष/(प्राप्य) (नोट 12 देखें) (ए-बी)	<b>1,301.68</b>	<b>(6.03)</b>

## विवरण

31 को मार्च, 2024  
वर्ष समाप्त हुआ  
रुपए लाखों में31 को मार्च, 2023  
वर्ष समाप्त हुआ  
रुपए लाखों में

i. पूंजीगत परिसंपत्ति की खरीद के लिए अनुदान के उपयोग में निम्नलिखित शामिल हैं:		
ए. वर्ष के दौरान सीडब्ल्यूआईपी के तहत परिसंपत्तियों में वृद्धि (नोट 14 देखें)	-	24.46
बी. वर्ष के दौरान पीपीई के तहत परिसंपत्तियों में वृद्धि (नोट 14 देखें)	22.42	-
ii. राजस्व व्यय के लिए अनुदान के उपयोग में निम्नलिखित शामिल हैं:		
ए. कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	-	3.60
बी. वेतन और मजदूरी	12.34	-
सी. वाहन चलाने का खर्च	1.19	-
डी. विविध व्यय	26.29	8.07
<b>कुल</b>	<b>62.24</b>	<b>36.13</b>

पूंजीगत संपत्तियों की खरीद के लिए उपयोग किए गए अनुदान को आस्थगित अनुदान के रूप में दर्ज किया गया है और उपयोग किए गए राजस्व अनुदान को संबंधित खर्चों से घटा दिया गया है।

मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड  
सीआईएन: U01110UP2021PTC154607  
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स

33. अनुपात:

क्रमांक।	अनुपात	अंश/हर	31 मार्च, 24 तक	31 मार्च, 23 तक	विचरण (%)
1	वर्तमान अनुपात (समय में)	चालू संपत्तियां चालू दायित्व	1.53	1.95	-22%
2	ऋण-इक्विटी अनुपात (समय में) (नोट ए देखें)	कुल ऋण <sup>(1)</sup> / शेयरधारकों की इक्विटी	0.99	1.59	-38%
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (समय में)	ऋण सेवाओं के लिए उपलब्ध आय <sup>(2)</sup> /ऋण सेवा <sup>(3)</sup>	12.06	12.19	-1%
4	इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल (% में) (नोट बी देखें)	कर के बाद लाभ/औसत शेयरधारक की इक्विटी <sup>(4)</sup>	52.00%	93.00%	-44%
5	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (समय में)	परिचालन से राजस्व/औसत इन्वेंट्री <sup>(5)</sup>	203.34	261.01	-22%
6	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय में)	परिचालन से राजस्व/औसत व्यापार प्राप्य <sup>(6)</sup>	28.39	27.57	3%
7	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (समय में)	व्यापार किये गये माल की खरीद/औसत व्यापार देय <sup>(7)</sup>	21.04	23.35	-10%
8	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (समय में) (नोट सी देखें)	परिचालन से राजस्व/औसत कार्यशील पूंजी <sup>(9)</sup>	20.29	162.26	-87%
9	शुद्ध लाभ अनुपात (% में) (नोट डी देखें)	कर पश्चात लाभ/परिचालन से राजस्व	2.00%	1.00%	100%
10	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (% में)	ईबीआईटी <sup>(10)</sup> /व्यवसाय के लिए आवश्यक मूलधन <sup>(11)</sup>	2750.00%	2934.00%	-6%
11	निवेश पर प्रतिफल <sup>(12)</sup>	लाभांश आय/औसत निवेश	0.00%	0.00%	0%

स्पष्टीकरण:

- कुल ऋण = अल्पावधि उधार + दीर्घावधि उधार
- ऋण सेवाओं के लिए उपलब्ध आय (EBITDA) = कर से पहले लाभ + मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय + वित्त लागत
- ऋण सेवा = वित्त लागत
- औसत शेयरधारक इक्विटी = (प्रारंभिक शेयरधारक फंड + समापन शेयरधारक फंड)/2
- औसत इन्वेंट्री = (प्रारंभिक इन्वेंट्री + समापन इन्वेंट्री)/2
- औसत व्यापार प्राप्य = (प्रारंभिक व्यापार प्राप्य + अंतिम व्यापार प्राप्य)/2
- औसत व्यापार देय = (प्रारंभिक व्यापार देय + अंतिम व्यापार देय)/2
- कार्यशील पूंजी = वर्तमान परिसंपत्तियां - वर्तमान देयताएं
- औसत कार्यशील पूंजी = (प्रारंभिक कार्यशील पूंजी + अंतिम कार्यशील पूंजी)/2
- ब्याज और कर से पहले की कमाई (EBIT) = कर से पहले का लाभ + वित्तीय लागत
- नियोजित पूंजी = शेयरधारक की इक्विटी + कुल ऋण ± आस्थगित कर देयता/परिसंपत्ति
- कंपनी द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया है। इसलिए, यह अनुपात लागू नहीं है।

नोट्स

- चालू वर्ष के दौरान अल्पावधि उधारी में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 709.51 लाख रुपये की वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप अनुपात में कमी आई है।
- चालू वर्ष के दौरान शेयरधारकों की इक्विटी में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 1285.30 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप अनुपात में कमी आई है।
- चालू वर्ष के दौरान कार्यशील पूंजी में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 993.98 रुपए की वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप अनुपात में कमी आई है।
- चालू वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 355.62 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप अनुपात में वृद्धि हुई है।

34. संबंधित पक्ष के खुलासे

(ए) संबंधित पक्षों का नाम और रिश्ते की प्रकृति:		
रिश्ते की प्रकृति	व्यक्ति का नाम	
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	डॉ. हितेश पूनिया	
(बी) उपरोक्त संबंधित पक्षों के साथ अवधि के दौरान लेनदेन की प्रकृति और राशि इस प्रकार है:		
(लाख रूपये में)		
लेन-देन की प्रकृति	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष
	केएमपी	केएमपी
प्रबंधकीय पारिश्रमिक:		
डॉ. हितेश पूनिया (1 जनवरी, 2023 से)	29.67	22.34

35. कंपनी दूध, पशु चारा और दूध उत्पादों के व्यापार में लगी हुई है, जिसे एकल व्यवसाय खंड माना जाता है। कंपनी एकल भौगोलिक क्षेत्र में काम करती है। सेगमेंट रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक एस-17 के तहत आवश्यक खुलासे की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी एक व्यवसाय और भौगोलिक सेगमेंट में काम करती है।

36. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत प्रकटीकरण आवश्यक है।

विवरण	(लाख रूपये में)	
	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ
(ए) लेखांकन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को मूल राशि का भुगतान नहीं किया जाना;	18.34	64.51
(बी) लेखांकन वर्ष के अंत तक किसी भी आपूर्तिकर्ता को उस पर देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है;	-	-
(सी) प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ भुगतान की गई ब्याज की राशि;	-	-
(डी) वर्ष के लिए देय और देय ब्याज की राशि;	-	-
(ई) लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और शेष अवैतनिक ब्याज की राशि; और	-	-
(एफ) आगामी वर्ष में भी देय अतिरिक्त ब्याज की राशि, उस तारीख तक जब उपरोक्त ब्याज का भुगतान वास्तव में किया जाता है।	-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों का बकाया उस सीमा तक निर्धारित किया गया है, जहां तक प्रबंधन द्वारा एकत्र की गई जानकारी के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान की गई है। ऑडिटर ने इस पर भरोसा किया है।		
37. कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं सहित किसी भी अन्य व्यक्ति(ओं) या इकाई(ओं) को कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के फंड से) "मध्यस्थ" इस समझ के साथ कि मध्यस्थ कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचानी गई पार्टि (अंतिम लाभार्थियों) को उधार देगा या निवेश करेगा। कंपनी को इस समझ के साथ किसी भी पार्टि (फंडिंग पार्टि) से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करें।		
38. कंपनी ने अपने कार्यालय परिसर के लिए परिचालन पट्टा व्यवस्था की है। पट्टे 5 वर्ष की अवधि के लिए हैं, जिसमें 3 वर्ष की गैर-रद्द करने योग्य अवधि है। पट्टा समझौते में परिसर के कब्जे की तारीख से 2 वर्ष पूरे होने पर हर साल 5% की वृद्धि का प्रावधान है। परिचालन पट्टों के तहत दायित्व के संबंध में 21.82 लाख रुपये (पिछले वर्ष 4.72 लाख रुपये) के पट्टे किराये के खर्च को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।		
भविष्य का न्यूनतम पट्टा भुगतान है:		
विवरण	(लाख रूपये में)	
	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ
एक वर्ष के बाद देय नहीं	22.19	21.96
एक वर्ष से बाद में देय लेकिन पाँच वर्ष से अधिक बाद में नहीं	15.28	87.33
पाँच वर्ष के बाद देय	-	-

39. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के संबंध में, निदेशकों ने अपनी बैठक दिनांक 31/08/2024 में रुपये 74.88 लाख का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है जो पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों पर (रुपये 8/- प्रति शेयर) का भुगतान किया जाना है। इक्विटी लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के अधीन है और इसे वित्तीय विवरणों में देनदारी के रूप में शामिल नहीं किया गया है। प्रस्तावित इक्विटी लाभांश पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों के सभी धारकों को देय है।

40. हटाई गई कंपनियों के साथ संबंध

31 मार्च 2024

(लाख रुपए में)

हटाई गई कंपनी का नाम	लेन-देन की प्रकृति	हटाई गई कंपनी के साथ संबंध	वर्ष 31 मार्च 2024 के दौरान लेनदेन	31 मार्च 2024 तक बकाया शेष राशि
हिंदुस्तान केमिकल प्राइवेट लिमिटेड	व्यापार	विक्रेता	5.34	-

31 मार्च 2023

(लाख रुपए में)

हटाई गई कंपनी का नाम	लेन-देन की प्रकृति	हटाई गई कंपनी के साथ संबंध	वर्ष 31 मार्च 2023 के दौरान लेनदेन	31 मार्च 2023 तक बकाया शेष राशि
शून्य			-	-

41. जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप पुनः समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
42. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 24 मार्च, 2021 की अपनी अधिसूचना संख्या जीएसआर 206 (ई) के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसे आगे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 143 की उप-धारा 3 के साथ "कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) संशोधन नियम, 2021" जारी किया है, जिसमें नियम 11 (जी) पेश किया गया है। इस नियम के अनुसार, प्रत्येक कंपनी जो अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है, उसे केवल ऐसे लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए जिसमें प्रत्येक लेन-देन के ऑडिट ट्रेल को रिकॉर्ड करने, खातों की पुस्तकों में किए गए प्रत्येक परिवर्तन का संपादन लॉग बनाने की सुविधा हो, जिसमें ऐसे परिवर्तन किए जाने की तारीख हो और यह सुनिश्चित करना हो कि ऑडिट ट्रेल को अक्षम नहीं किया जा सकता है। 4 दिसंबर, 2023 तक कंपनी ने अपने खातों की पुस्तकों को टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के पुराने संस्करण में बनाए रखा था जिसमें ऑडिट ट्रेल को रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं थी। 5 दिसंबर, 2023 को कंपनी ने अपने लेखांकन सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया, जिसमें प्रत्येक लेनदेन का ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड करने, खाता पुस्तकों में किए गए प्रत्येक परिवर्तन का संपादन लॉग बनाने और ऐसे परिवर्तन किए जाने की तारीख दर्ज करने की सुविधा है।
43. 05 अगस्त, 2022 की एमसीए अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी (लेखा) चौथा संशोधन नियम, 2022 अधिसूचित किया है। संशोधित नियमों के अनुसार, कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में खाता बही और अन्य प्रासंगिक पुस्तकों और कागजात का बैक-अप बनाए रखना आवश्यक है, जो भारत में हर समय उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावा, कंपनियों को दैनिक आधार पर भारत में भौतिक रूप से स्थित सर्वर पर खातों का बैकअप बनाए रखना आवश्यक है। कंपनी के अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों के साथ-साथ खाता बही इलेक्ट्रॉनिक मोड में बनाए रखी जाती है। हालांकि, कंपनी ने दैनिक आधार पर बैकअप बनाए रखा है, लेकिन निर्दिष्ट अवधि के लिए इसे संरक्षित करने के लिए उचित प्रणाली नहीं है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह./- ह./- ह./-  
कपिल भारद्वाज अंजू देवी डॉ. हितेश पूनिया  
निदेशक निदेशक मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक  
डीआईएन: 09377124 डीआईएन: 09377125 डीआईएन: 09443126

स्थान: मेरठ  
दिनांक: 31/08/2024

स्थान: मेरठ  
दिनांक: 31/08/2024

स्थान: मेरठ  
दिनांक: 31/08/2024

ह./-  
श्रीमन नारायण  
कंपनी सचिव  
एम. नं. F7763

ह./-  
पांडे प्रकाश चंद्र  
प्रमुख - लेखा एवं वित्त

स्थान: मेरठ  
दिनांक: 31/08/2024

स्थान: मेरठ  
दिनांक: 31/08/2024

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड  
सी.आई.एन :U01110UP2021PTC154607  
रजिस्टर्ड कार्यालय: द्वितीय तल, वर्धमान प्लाजा, प्लॉट नंबर 09, पॉकेट - जे,  
पल्लवपुरम-1, रूडकी रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250 110, भारत  
दूरभाष संख्या : 0121-4341575  
ईमेल :info@haritpmilk.com, वेबसाइट: www.haritpmilk.com

### चतुर्थ वार्षिक साधारण सभा की सूचना

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की चतुर्थ वार्षिक साधारण सभा शनिवार, दिनांक 28 सितम्बर, 2024 को दोपहर 12.00 बजे 'संस्कृति रिजॉर्ट्स, रोहटा रोड फ्लाईओवर के पास, एनएच-58, मेरठ-250 110, उत्तर प्रदेश, भारत ' में निम्न कार्यों के लिए होगी:

1. 31 मार्च, 2024 का अंकेक्षित आर्थिक चिन्ता लाभ-हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करके उन पर विचार करना एवं उसे अपनाया एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना:

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2024 का अंकेक्षित आर्थिक चिन्ता, लाभ हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण, शेड्यूल और नोट्स जो खातों का हिस्सा है, अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अपनाया जाता है।"

2. कंपनी की समता अंश पूंजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना :

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लाभ में से ₹100/- वाले 9,35,944 पूर्ण प्रदत्त समता अंशों पर ₹8/- प्रति समता अंश की दर से, कुल ₹74,87,952 वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिये अनुमोदित किया जाता है एवं इसका भुगतान उन समता अंश धारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।"

3. श्री वीरेंद्र (डीआईएन: 09377062) की नियुक्ति निदेशक के रूप में करना, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे और यदि सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना :

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य प्रासंगिक लेखों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न अध्यादेश सहित) श्री वीरेंद्र (डीआईएन: 09377062) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।"

4. श्री विवेक कुमार (DIN:09733815) की नियुक्ति निदेशक के रूप में करना, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे और यदि सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना :

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य प्रासंगिक लेखों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय

पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न अध्यादेश सहित) श्री विवेक कुमार (डी.आई.एन.: 09733815) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रीय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।"

5. 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट पर विचार कर उसका अनुमोदन करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना:

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसे अनुमोदित किया जाता है।"

6. कंपनी की अधिकृत अंश पूँजी में वृद्धि करना और यदि सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना:

"निर्णय लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-ए से संबंधित प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 378H, 378ZQ, 378ZR तथा अन्य लागू प्रावधान, अगर कोई है, तो कंपनी अधिनियम, 2013 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के आवश्यक परिवर्तन जहाँ तक लागू हो सकें) तथा कंपनी के बर्हिनीयम एवं अन्तर्नियम के अनुसार, ₹100/- (एक सौ रुपये) प्रत्येक के अतिरिक्त 10,00,000 (दस लाख) समता अंश लाकर कंपनी की अधिकृत अंश पूँजी को ₹100/- (एक सौ रुपये) प्रत्येक के 10,00,000 (दस लाख) समता अंशों में विभाजित ₹10,00,00,000/- (रुपये दस करोड़) से बढ़ाकर 100/- (एक सौ रुपये) प्रत्येक के 20,00,000 (बीस लाख) समता अंशों में विभाजित ₹20,00,00,000/- (रुपये बीस करोड़) किया जाये।

पुनः निर्णय लिया जाता है कि कंपनी के बर्हिनीयमों में पुनसंख्याकित अनुच्छेद VI के स्थान पर निम्नलिखित नए अनुच्छेद VI के द्वारा बदलाव किया जाता है।

"VI कंपनी की अधिकृत अंश पूँजी ₹20,00,00,000/- (रुपये बीस करोड़) है, जो ₹100/- प्रति अंश के 20,00,000 (बीस लाख) अंशों में बटी है।"

पुनः निर्णय लिया जाता है कि कंपनी के मुख्य कार्यकारी को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करने तथा इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों, संदेह व समस्याओं को अपने स्वतंत्र विवेकानुसार निष्पादन करने के लिये अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।"

7. विचारोपरान्त परिभाषित मानदंडों पर आधारित निम्नलिखित रूप से साधारण संकल्प द्वारा बोर्ड में रिक्त पदों के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच करने के लिए नामांकन समिति के गठन के लिए दिशानिर्देशों पर विचार करना और अनुमोदन करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के इसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी अंतर्नियमों के अनुच्छेदों के लागू प्रावधानों के आधार पर नामांकन समिति के गठन के लिए दिशा-निर्देश एतद्वारा अंगीकृत व स्वीकृत किये जाते है (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुनः अध्यादेश अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 के आवश्यक परिवर्तन जहाँ तक लागू हो सकें) जो इस प्रकार है-

- (i) हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") का बोर्ड संभावित उम्मीदवारों को बोर्ड को सुझाव देने के लिए वित्तीय वर्ष के पूरा होने के तीन महीने के अंदर एक "नामांकित समिति" (एनसी) का गठन करेगी, कंपनी के बोर्ड में रिक्त उत्पादक सदस्यों के निदेशक पद के लिए।
- (ii) बोर्ड के उत्पादक निदेशकों की रिक्ति (वर्ग ए या वर्ग बी या वर्ग सी श्रेणी के तहत) की घोषणा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी। नामांकन समिति द्वारा विचार के लिए पात्र सदस्यों से नामांकन आमंत्रित करने का नोटिस (बोर्ड में रिक्त पदों को भरने के लिए) नोटिस बोर्ड और/या कंपनी की वेबसाइट पर डाला जाएगा, यदि कोई हो या संबंधित वर्ग (वर्गों) के सदस्यों को साधारण डाक द्वारा एक परिपत्र भेजकर जिसके लिए रिक्ति निकलती है।
- (iii) बोर्ड एक प्रक्रिया तैयार करेगा जिसका अनुसरण कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद के तहत निर्दिष्ट ऐसे संभावित सदस्यों की पहचान के लिए 'नामांकित समिति' द्वारा किया जाएगा।
- (iv) "नामांकित समिति" पात्र आवेदक के लिए प्रत्येक पैरामीटर के विरुद्ध दिए जाने वाले 'आवेदक के पात्रता स्कोर' को दर्शाने वाली निम्नलिखित तालिका पर विचार करेगी:

आवेदक के पात्रता स्कोर के लिए पैरामीटर	अधिकतम स्कोर
पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी को आपूर्ति किए गए दूध के दिनों की संख्या, स्कोरिंग इस प्रकार होगी: (95% या अधिक दिन -25 अंक; 85% से <95% दिन - 20 अंक; 75% से <85% - 15 अंक; 65% से <75% - 10 अंक; 55% से <65% - 5 अंक ; <55% - 0 अंक).	25
पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को शेयर पूंजी सदस्यता वास्तविक आवश्यकता के 10% से अधिक कम नहीं हो रही है।	10
इस अवधि के दौरान कंपनी को संपूर्ण अधिशेष की आपूर्ति करना (अर्थात किसी अन्य प्रतिस्पर्धियों/संचालकों को दूध की आपूर्ति नहीं की है) - स्व-घोषणा और कंपनी द्वारा बाद में सत्यापन के आधार पर।	10
पिछले 5 वर्षों से सदस्य योग्यता (प्रत्येक वर्ष के लिए 3 अंक) को लगातार बनाए रखा गया है।	15
आवेदक की शैक्षणिक योग्यता (न्यूनतम आवश्यक योग्यता के अतिरिक्त - स्नातकों के लिए -10 अंक और स्नातकोत्तरों के लिए -15 अंक) न्यूनतम योग्यता कंपनी के अंतर्नियमों के लेखों के अनुसार होगी।	15
अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया - उत्पादक/महिला जागरूकता (5 अंक); वीसीजी के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम (5 अंक) / एमआरजी (5 अंक)/नेतृत्व विकास कार्यक्रम (5 अंक) हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया (15 अंक)।	15
कंपनी के सदस्य के रूप में कोई पुरस्कार या मान्यता प्राप्त की हो (जैसे सदस्य / वीसीजी / एमआरजी आदि के लिए सर्वश्रेष्ठ आईबी पुरस्कार) / आवेदक ने हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में कार्य किया हो (5 अंक)।	5
स्वैच्छिक सेवा के लिए मान्यता प्राप्त करना (दस्तावेजी प्रमाण के अधीन)	5
कुल	100

(v) बोर्ड द्वारा गठित 'नामांकित समिति' में शामिल होंगे-

- I. बोर्ड में सदस्यता वर्ग से एक उत्पादक सदस्य निदेशक, जिसके लिए रिक्ति निकली है, बशर्ते कि ऐसा उत्पादक सदस्य निदेशक वह न हो जो उस साधारण सभा में सेवानिवृत्त हो रहा हो। यदि एक से अधिक उत्पादक सदस्य निदेशक योग्य हैं, तो एक एनसी सदस्य की पहचान ड्रा के माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा, यदि उस वर्ग से कोई उत्पादक सदस्य निदेशक उपलब्ध नहीं है, तो ड्रा के माध्यम से किसी अन्य उत्पादक सदस्य निदेशक की पहचान की जाएगी;
- ii. किसी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान या किसी संस्थान से एक विशेषज्ञ जिसने उत्पादक स्वामित्व वाले उद्यमों के विकास के लिए काफी कार्य किया हो; और
- iii. एक विशेषज्ञ निदेशक जो कंपनी के बोर्ड में है।

कंपनी का कंपनी सचिव 'नामांकित समिति' की सहायता करेगा और नामांकन समिति की बैठक के कार्यवृत्त सहित उसके सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

- vi) 'नामांकित समिति' का कार्यकाल समिति की पहली बैठक की तारीख से लेकर कंपनी के बोर्ड को अपनी सिफारिश भेजने की तारीख तक होगा।

बोर्ड ऐसे संभावित सदस्यों की पहचान के लिए 'नामांकित समिति' द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

आगे प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, कंपनी के मुख्य कार्यकारी को ऐसे सभी कार्यों, मामलों और चीजों को करने और ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

8. एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ सेकेंडमेंट व्यवस्था/समझौते पर विचार करना और अनुमोदन करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के एक सामान्य संकल्प पारित करना है:

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के बहिर्नियम और अंतर्नियमों के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अध्याय XXIA के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पढ़े गए अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधानों के अनुसार, अन्य लागू कानून/वैधानिक प्रावधान, यदि कोई (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियम सहित, जो तत्काल में लागू है) एवं कंपनी के सदस्यों की सहमति के साथ एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ सेकेंडमेंट व्यवस्था/समझौता करना और सेकेंडमेंट व्यवस्था से संबंधित सभी निष्पादन लेनदेन का अनुसमर्थन करना और लेनदेन/अनुबंध/व्यवस्था/ समझौते में प्रवेश करना और/या जारी रखना।

पुनः प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी द्वारा इस व्यवस्था/समझौते को समाप्त करने के लिए आम बैठक में सदस्यों की पूर्व सहमति की आवश्यकता होगी।

पुनः प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अध्यक्ष को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए एवं आवश्यक सभी कार्य करने के

लिए अधिकृत किया जाता है।"

9. एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ('एनडीएस') को दूध की आपूर्ति पर विचार करना और मंजूरी देना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना एक सामान्य संकल्प है:

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के बहिर्नियम और अंतर्नियमों के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अध्याय XXIA के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पढे गए अधिनियम के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, अन्य लागू कानून/वैधानिक प्रावधान, यदि कोई हो (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित, जो तत्काल में लागू है), के अनुसार अंशधारकों की सहमति के साथ एवं दिनांक 5 अप्रैल, 2024 को हुये आपूर्ति अनुबंध के तहत किसी भी संशोधन सहित दूध की आपूर्ति के लिए एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज (एनडीएस) के साथ लेनदेन/अनुबंध / व्यवस्था/समझौते के साथ प्रवेश किया जाता है।

पुनः प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अध्यक्ष को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक सभी कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

स्थान: मेरठ  
दिनांक: 31/08/2024

बोर्ड के आदेशानुसार  
हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनीय लिमिटेड  
ह./-  
श्रीमन नारायण पाण्डेय  
कंपनी सचिव  
सदस्यता संख्या: F7763

हरित प्रदेश  
मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी

## टिप्पणियाँ

1. वार्षिक साधारण सभा में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य, हाथ दिखाकर मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है, साथ ही मतदान में स्वयं के स्थान पर एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और एक प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना चाहिए। गैर-सदस्य को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने वाले उपकरण को विधिवत पूरा किया जाना चाहिए, मुहर लगाई जानी चाहिए और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और बैठक के निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। प्रॉक्सी फॉर्म यहां संलग्न है।
2. सदस्यों/प्रॉक्सी से अनुरोध है कि वे बैठक में भाग लेने के लिए इसके साथ भेजी गई उपस्थिति पर्ची विधिवत भरकर लाएं।
3. प्रत्येक सदस्य को उसके द्वारा ली गई अंश पूंजी और संरक्षता को ध्यान में रखते हुए एक वोट डालने का अधिकार होगा (हाथ दिखाकर अथवा पोल पर) लेकिन उसे अपनी सदस्यता की आधारभूत शर्तों को पूरा कर लिया हो अर्थात् उसने गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कंपनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की आपूर्ति की हो।
4. एक सदस्य अधिकतम तीन सौ (300) सदस्यों की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है, जो कुल मिलाकर कंपनी की शेयर पूंजी का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।
5. निम्नलिखित दस्तावेज़ नोटिस के साथ संलग्न हैं:
  - ए. मद संख्या 3 और 4 में दिए गए नाम के साथ निदेशक के रूप में चुने जाने वाले उम्मीदवारों के संबंध में योग्यता का विवरण।
  - बी. 30.09.2023 को आयोजित पिछली वार्षिक साधारण सभा का कार्यवृत्त।
  - सी. 31 मार्च, 2024 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा लाभ-हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट।
  - डी. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट।
6. सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम में चौथी वार्षिक प्रतिवेदन की अपनी प्रति लाएं क्योंकि कंपनी एजीएम स्थल पर कोई प्रति प्रदान नहीं करेगी।
7. संलग्न नोटिस में निर्दिष्ट प्रासंगिक दस्तावेज़ शनिवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों पर, सामान्य व्यावसायिक घंटों (11.00 बजे से 16.00 बजे तक) के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।
8. कंपनी के खातों या संचालन से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी सदस्य से अनुरोध है कि वह बैठक की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को प्रश्न अग्रेषित करें।
9. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने सभी पत्राचार में अपना फोलियो नंबर और अपना सदस्य कोड उद्धृत करें।
10. सदस्यों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसार (उस समय लागू होने वाले किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियम के साथ), यदि सीमित रिटर्न (लाभांश) का दावा नहीं किया जाता है अथवा घोषणा तारीख से 7 साल की अवधि के भीतर दावा/नकदीकरण नहीं करते हैं, तब दावा न की गई राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित कर दी जाएगी। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित कर

दी जाएगी। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि आईईपीएफ) में स्थानांतरण हेतु अवैतनिक लाभांश इस प्रकार है:


वित्तीय वर्ष	घोषणा की तिथि	आईईपीएफ के हस्तांतरण की संभावित तिथि
2022-23	30/09/2023	05/11/2030

जिन सदस्यों ने उपरोक्त वर्ष से संबंधित अपने लाभांश को प्राप्त नहीं कर सके है, वे उक्त निधि में स्थानांतरण के लिए देय होने से पहले भुगतान प्राप्त करने के लिए कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।

12. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते और बैंक खाते के विवरण में किसी भी बदलाव के बारे में कंपनी को तुरंत सूचित करें।
13. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी से वार्षिक प्रतिवेदन, नोटिस, परिपत्र आदि सहित सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए अपना ई-मेल पता पंजीकृत करें।
14. नामांकन: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अनुसार, अपने नामांकन को रिकॉर्ड/अद्यतन करने के इच्छुक सदस्यों को कंपनी के साथ निर्धारित फॉर्म एसएच-13 में नामांकन दाखिल करने की सलाह दी जाती है (फॉर्म की प्रति इसके साथ संलग्न है)।
15. एजीएम स्थल पर हथियार, आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, चाकू और ब्लेड, तेज उपकरण आदि प्रतिबंधित हैं।
16. चतुर्थ वार्षिक साधारण सभा की सूचना कंपनी की वेबसाइट [www.haritpmilk.com](http://www.haritpmilk.com) पर उपलब्ध है।
17. वार्षिक साधारण सभा के आयोजन स्थल तक पहुंचने के लिए एक रूट मैप वार्षिक साधारण सभा की सूचना के साथ संलग्न है।

हरित प्रदेश  
मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी

## वार्षिक आम सभा के स्थल मार्ग का मानचित्र



कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 378ZA(4)(c) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले उम्मीदवारों के संबंध में योग्यता का विवरण।

**मद संख्या 3 और 4**

	श्री वीरेन्द्र	श्री विवेक कुमार
आयु:	51 वर्ष	43 वर्ष
योग्यता:	12 <sup>th</sup>	स्नातक
पेशा	खेती एवं पशुपालन	खेती एवं पशुपालन
अनुभव:	30 वर्ष	17 वर्ष
निबंधन और की शर्तें नियुक्ति:	गैर-कार्यकारी निदेशक चक्रिये क्रम द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं	गैर-कार्यकारी निदेशक चक्रिये क्रम द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं
भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक और अंतिम आहरित पारिश्रमिक:	0	0
नियुक्ति सवार की प्रथम तिथि :	26/10/21	11/09/22
बोर्ड बैठकों में भाग वालों की संख्या:	8	8
शेयरधारिता: (शेयर)	37	20
अन्य निदेशक और केएमपी के साथ संबंध:	नहीं	नहीं
सदस्यता/ बोर्ड की समितियों की अध्यक्षता:	नहीं	नहीं

हरित प्रदेश  
मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी

बोर्ड के आदेशानुसार  
हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनीय लिमिटेड

ह./-

श्रीमन नारायण पाण्डेय

कंपनी सचिव

सदस्यता संख्या: F7763

स्थान: मेरठ

दिनांक: 31/08/2024

## व्याख्यात्मक कथन

### मद संख्या 6

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹100,000,000 (दस करोड़ रुपये) है, जो ₹100 (एक सौ रुपये) प्रत्येक के 10,000,00 (दस लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित है और इसकी जारी, सब्सक्राइब और चुकता शेयर पूंजी केवल ₹9,63,69,200 (नौ करोड़ साठ-तीन लाख उनसठ हजार दो सौ रुपये) है। अपने सामान्य व्यवसाय के क्रम में अपने विकास और विकासात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कंपनी को अपनी चुकता शेयर पूंजी को ₹20 करोड़ तक विस्तारित करने की आवश्यकता होगी। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को ₹10 करोड़ से बढ़ाकर ₹20 करोड़ करने का प्रस्ताव है और उस उद्देश्य के लिए, कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन के पूंजी खंड को भी उपयुक्त रूप से बदलने की आवश्यकता होगी।

कंपनी अधिनियम के लागू वैधानिक प्रावधानों (जिनमें कंपनी के लिए लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल है) के अनुसार, कंपनी को पूर्वोक्त अनुसार अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि करने और कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन के पूंजी खंड में परिवर्तन करने के लिए सदस्यों की स्वीकृति लेनी होगी।

कंपनी के किसी भी प्रमोटर/प्रबंधक/निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक/उनके रिश्तेदारों का उक्त प्रस्ताव से किसी भी तरह से कोई सरोकार या रुचि नहीं है। बोर्ड उक्त प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने की सिफारिश करता है।

निदेशक मंडल सदस्यों की स्वीकृति के लिए संलग्न नोटिस के मद संख्या 6 में निर्धारित प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

### मद संख्या 7

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 9.6, 9.18 ii.k., और 11.11 vii के अनुसार, अन्य बातों के अलावा, बोर्ड में सदस्यों के वर्ग का प्रतिनिधित्व, निदेशकों का चुनाव, निदेशकों के पद के लिए, कंपनी को बोर्ड की एक "नामांकित समिति" (एनसी) की आवश्यकता होती है।

इसके अलावा, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 11.11 की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी "नामांकित समिति" के गठन के दिशानिर्देशों के लिए शेयरधारकों की वार्षिक साधारण सभा में पारित एक 'साधारण संकल्प' द्वारा सदस्यों की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

बोर्ड द्वारा "नामांकित समिति" (एनसी) के गठन के लिए सदस्यों की मंजूरी, एनसी के गठन के लिए दिशानिर्देशों की मंजूरी और निदेशक पद के नामांकन के लिए मानदंड तैयार करना आवश्यक है।

इसलिए, यह आवश्यक और उचित है कि, निदेशक पद के लिए पात्रता मानदंड सहित "नामांकित समिति" के गठन के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश, जैसा कि नामांकन समिति के 'साधारण संकल्प' के मसौदे में बताया गया है और समय-समय पर बोर्ड को पात्र सदस्यों की सिफारिश की जाती है। आने के लिए बोर्ड कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए संकल्प संख्या 7 की सिफारिश करता है।

कंपनी के किसी भी निदेशक/अधिकारी या उनके रिश्तेदारों को इस समाधान में किसी भी तरह से दिलचस्पी या चिंता नहीं है।

### आइटम नंबर 8

कंपनी को शुरुआत से ही सेवाओं के संपूर्ण दायरे को कवर करते हुए एनडीएस द्वारा सहायता प्रदान की जा रही थी, जिसका

उद्देश्य डेयरी के क्षेत्रों में उत्पादक स्वामित्व वाले संस्थानों को बढ़ावा देना है।

एनडीएस ने कंपनी के निदेशकों को प्रशासन, संस्था निर्माण, वित्तीय और परिचालन मामलों पर शिक्षित करने में कंपनी की मदद की। भारत में डेयरी उद्योग में तेजी से बदलते वाणिज्यिक और आर्थिक परिदृश्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए, कंपनी को एक मुख्य कार्यकारी ("सीई") की आवश्यकता है, जिसके पास कंपनी की वृद्धि और विकास के विभिन्न चरणों को संभालने में विशेषज्ञता हो। किसानों के स्वामित्व वाले ग्रामीण स्टार्ट-अप के लिए सीई के रूप में काम करने के इच्छुक प्रतिभाशाली पेशेवरों का चयन करने के लिए, कंपनी ने एनडीएस के साथ एक व्यवस्था की है, जिसके तहत एनडीएस कंपनी के सीई के रूप में बोर्ड द्वारा उसकी नियुक्ति के लिए एनडीएस के एक कर्मचारी को दूसरे स्थान पर रखेगा।

इससे कंपनी के मामलों के प्रबंधन के लिए सीई की नियुक्ति में स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित होगी। बोर्ड ने 5 जुलाई, 2024 को आयोजित अपनी 23वीं बैठक में एनडीएस के साथ सेकेंडमेंट व्यवस्था में प्रवेश करने की मंजूरी दे दी है और अध्यक्ष को सेकेंडमेंट व्यवस्था निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

एनडीएस के साथ सेकेंडमेंट समझौते की प्रमुख शर्तों में से एक यह है कि इस व्यवस्था को कंपनी की अगली साधारण सभा में शेरधारकों की मंजूरी भी मिलनी होगी। समझौते की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- 1) शामिल पक्ष: एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, नई दिल्ली और हरित प्रदेश एमपीसी कंपनी।
- 2) समझौता निष्पादन की तारीख से प्रभावी हो जाता है और एक सामान्य बैठक में कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के अधीन होता है।
- 3) कंपनी का सीई के काम पर पूरा नियंत्रण और पर्यवेक्षण होगा और सीई कंपनी के सीई के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कंपनी के कार्य नियमों और नीतियों का पालन करेगा।
- 4) एनडीएस द्वारा प्रदान की गई सीई की सेवाओं पर विचार करते हुए कंपनी एनडीएस को सभी कर्मचारी-संबंधी खर्चों और एनडीएस द्वारा सीई को भुगतान किए गए वेतन को कवर करने के लिए फीस का भुगतान करेगी।
- 5) कोई भी पक्ष लिखित नोटिस देकर इस समझौते को समाप्त कर सकता है, हालांकि, यदि एमपीसी समझौते को समाप्त करना चाहती है तो उसे साधारण सभा में कंपनी के सदस्यों की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी।
- 6) कंपनी सेकेंडमेंट के दौरान असाइनी के कार्यों से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या नुकसान के खिलाफ एनडीएस की क्षतिपूर्ति करेगी।

ड्राफ्ट/निष्पादित समझौते की एक प्रति हरित प्रदेश एमपीसी के पंजीकृत कार्यालय में साधारण सभा की तारीख तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

कंपनी का कोई भी प्रमोटर/प्रबंधक/निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/उनके रिश्तेदार उक्त प्रस्ताव में किसी भी तरह से चिंतित या रुचि नहीं रखते हैं। बोर्ड उक्त प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने की अनुशंसा करता है।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन के लिए संलग्न नोटिस के आइटम नंबर 8 में निर्धारित संकल्प की सिफारिश करता है।

## मद संख्या 9

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-ए के तहत 26 अक्टूबर, 2021 को एक उत्पादक कंपनी के रूप में शामिल किया गया है।

कंपनी के उद्देश्य में मुख्य रूप से सदस्यों और अन्य लोगों के दूध और दूध उत्पादों की पूर्ति, खरीद, प्रसंस्करण, उसका विपणन और उन गतिविधियों से निपटना शामिल है जो उससे संबंधित किसी भी गतिविधि का हिस्सा हैं या उससे संबंधित हैं।

कंपनी मदर डायरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड को खरीदे गए दूध की आपूर्ति कर रही थी। मदर डेयरी के साथ दूध आपूर्ति समझौता 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो गया। कंपनी के संचालन के बाद से, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, कंपनी के निगमन के बाद से कंपनी को तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है।

अप्रैल 2024 से कंपनी ने दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ एक समझौता किया है।

समझौते की मुख्य विशेषताएं हैं:-

- 1) लाभकारी उत्पादक मूल्य को प्रमुख खिलाड़ियों के साथ बेंचमार्क किया गया
- 2) गुणवत्ता और संस्थागत मापदंडों के अनुपालन के लिए प्रोत्साहन
- 3) समय पर भुगतान
- 4) अनुमानित मात्रा खरीदने की प्रतिबद्धता।
- 5) साल भर बाजार पहुंच
- 6) परस्पर सहमत ओवरहेड्स और मार्जिन

निदेशक मंडल ने 27 मार्च, 2024 को दूध की आपूर्ति के लिए एनडीएस के साथ समझौता करने को मंजूरी दे दी। तदनुसार, कंपनी ने दूध की आपूर्ति के लिए 5 अप्रैल, 2024 को एनडीएस के साथ एक समझौता किया है।

सदस्यों का अनुमोदन साधारण संकल्प के रूप में मांगा गया है, जैसा कि संलग्न नोटिस की मद संख्या 9 में दिया गया है।

हरित प्रदेश  
मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड			
राजस्व बजट			
क्र.सं	विवरण	माप की इकाई	वित्तीय वर्ष 2024-25
(I)	दूध खरीद की मात्रा	(किलो प्रतिदिन)	273,483
(II)	दुग्ध परिचालन से राजस्व	(रूपये लाखों में)	53,956.96
(III)	निर्माता कीमत	(रूपये लाखों में)	48,185.74
(IV)	सहायक मार्जिन	(रूपये लाखों में)	1,367.53
(V)	लॉजिस्टिक लागत	(रूपये लाखों में)	1,293.69
(VI)	अन्य दूध खरीद लागत	(रूपये लाखों में)	1,124.30
(VII)	निश्चित लागत	(रूपये लाखों में)	1,769.95
(VIII)	अनुदान सहायता जेआईसीए	(रूपये लाखों में)	-
<b>(IX)</b>	अनुदान सहायता से पहले दूध संचालन से लाभ/(हानि)।	(रूपये लाखों में)	<b>215.74</b>
(X)	सीएफ से आय	(रूपये लाखों में)	20.60
(XI)	घी से आय	(रूपये लाखों में)	2.00
(XII)	एमएमपी से आय	(रूपये लाखों में)	0.78
(XIII)	अन्य कमाई	(रूपये लाखों में)	135.49
<b>(XIV)</b>	अनुदान सहायता के बाद दूध संचालन से लाभ/(हानि)	(रूपये लाखों में)	<b>374.61</b>
(XV)	पीईएस व्यय जेआईसीए	(रूपये लाखों में)	830.46
(XVI)	जेआईसीए फंडिंग एजेंसी से पीईएस-सहायता	(रूपये लाखों में)	758.66
<b>(XVII)</b>	कर से पहले लाभ/(हानि)।	(रूपये लाखों में)	<b>302.80</b>
<b>पूँजीगत बजट</b>			
क्र.सं.	विवरण	माप की इकाई	वित्तीय वर्ष 2024-25
<b>A</b>	दूध संचालन		
(I)	एमपीपी स्थापना लागत	(रूपये लाखों में)	151.46
(II)	डिब्बे	(रूपये लाखों में)	327.16
(III)	हो सेट अप	(रूपये लाखों में)	8.00
(IV)	डीपीएमसीयू	(रूपये लाखों में)	2,039.99
(V)	बीएमसी सहायक उपकरण	(रूपये लाखों में)	10.00
(VI)	एमएमसीयू	(रूपये लाखों में)	-
(VII)	एमसीसी स्थापना लागत	(रूपये लाखों में)	36.00
(VIII)	आईसीटी	(रूपये लाखों में)	33.85
(IX)	एमएमपी प्लांट	(रूपये लाखों में)	-
(X)	कैपेक्स-दूध संचालन	(रूपये लाखों में)	<b>2,606.47</b>

(XI)	कैपेक्स अनुदान सहायता-दूध संचालन	(रूपये लाखों में)	1,453.10
<b>B</b>	पीईएस ऑपरेशन		
(I)	कैपेक्स-पीईएस संचालन	(रूपये लाखों में)	72.21
(II)	अनुदान सहायता-पीईएस संचालन	(रूपये लाखों में)	64.99
<b>C</b>	कुल पूंजीगत व्यय	(रूपये लाखों में)	<b>2,678.68</b>
<b>D</b>	फंडिंग एजेंसी से कैपेक्स-सहायता	(रूपये लाखों में)	<b>1,518.09</b>



30 सितंबर, 2023 को संस्कृति रिजॉर्ट्स, रोहता रोड फ्लाईओवर के पास, एनएच-58, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250 110 में आयोजित हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की तीसरी वार्षिक साधारण सभा का कार्यवृत्त सुबह 11:30:00 बजे शुरू हुआ और 11:58:59 अपराह्न समाप्त हुआ।

उपस्थित:

1.	श्री कपिल भारद्वाज	:	अध्यक्ष एवं निदेशक
2.	श्री अमित कुमार	:	निदेशक
3.	श्रीमती अंजू देवी	:	निदेशक
4.	श्री अंकुर कुमार	:	निदेशक
5.	श्री पवन कुमार त्यागी	:	निदेशक
6.	श्री रवीन्द्र कुमार	:	निदेशक
7.	श्रीमती संगीता	:	निदेशक
8.	श्री संजय कुमार	:	निदेशक
9.	श्री शैलेन्द्र सिंह	:	निदेशक
10.	श्री वीरेन्द्र	:	निदेशक
11.	श्री विवेक कुमार	:	निदेशक
12.	श्री नरिंदर सिंह बाहगा	:	विशेषज्ञ निदेशक
13.	डॉ. हितेश पूनिया	:	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
14.	श्री एस एन पांडे	:	कंपनी सचिव

ए. श्री कपिल भारद्वाज ने दोपहर 12.00 बजे अध्यक्ष पद संभाला और कंपनी सचिव से बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित उपस्थिति और कोरम की पुष्टि करने को कहा।

बी. इसके बाद, कंपनी सचिव श्री श्रीमन नारायण पांडे ने कहा कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार 5,430 शेयर रखने वाले 121 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे और 4,35,137 शेयर रखने वाले 13,348 सदस्य प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित थे। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378Y के साथ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार अपेक्षित कोरम 8,957 सदस्यों का है।

सी. चेयरपर्सन ने कंपनी सचिव से यह सुनिश्चित करने के बाद घोषणा की कि कोरम मौजूद है।

डी. कंपनी सचिव ने कहा कि प्रॉक्सी का रजिस्टर, सदस्यों का रजिस्टर, निदेशकों की शेयरधारिता का रजिस्टर, वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और अन्य वैधानिक रजिस्टर उपलब्ध थे और निरीक्षण के लिए खुले थे। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी की ऑडिटर रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं थी और इसलिए ऑडिटर रिपोर्ट को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

ई. चेयरपर्सन ने उपस्थित सदस्यों को सूचित किया कि कंपनी के विशेषज्ञ निदेशक डॉ. सी. पी. देवानंद बैठक में भाग लेने में असमर्थ हैं। उन्होंने सदस्यों को यह भी सूचित किया कि लेखा परीक्षकों ने बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की है और कंपनी से अनुपस्थिति की अनुमति मांगी है। फिर आदेशानुसार बैठक बुलाई गई।

एफ. चेयरपर्सन ने कंपनी की तीसरी वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों, निदेशकों का स्वागत किया। इसके बाद, चेयरपर्सन ने कंपनी के मूल्य, मिशन और विजन को पढ़कर बैठक की कार्यवाही शुरू की।

जी. उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति सहमति से, तीसरी वार्षिक साधारण सभा बुलाने का नोटिस जो पहले ही सदस्यों को प्रसारित किया जा चुका था, पढ़ा हुआ मान लिया गया। साथ ही, ऑडिटर की रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी/योग्यता नहीं थी, ऑडिटर की रिपोर्ट को पढ़ा हुआ माना गया।

एच. इसके बाद, चेयरपर्सन ने अपने भाषण में कंपनी के संचालन और कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में बैठक को जानकारी दी।

आइ. इसके बाद, चेयरपर्सन की सलाह पर, कंपनी सचिव, श्री श्रीमन नारायण पांडे ने बैठक के एजेंडे की मदों पर चर्चा की:

1. 31 मार्च, 2023 की बैलेंस शीट और उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि खाते को शेड्यूल और उसके भाग के नोट्स और निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना। इस संबंध में निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना।

1.1 सदस्यों ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के खातों पर विचार-विमर्श किया।

1.2 श्री प्रवीण कुमार (फोलियो नंबर 0000060) ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या तीसरी एजीएम:30.09.2023:1/2023

“यह तय किया गया है कि 31 मार्च 2023 को ऑडिट की गई बैलेंस शीट, उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता और कैश फ्लो स्टेटमेंट, अनुसूचियों और नोट्स के साथ उसका एक हिस्सा और कंपनी के निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, एतद्वारा अनुमोदित और अपनाया जाएगा।”

श्री दीपक कुमार (फोलियो नंबर 0000227) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

सभापति ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर इसे सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

2. कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना एवं घोषणा करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना।

2.1 श्रीमती निर्मला (फोलियो नंबर 0000952) ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या तीसरी एजीएम:30.09.2023:2/2023

“यह निर्णय लिया गया कि 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के मुनाफे में से ₹8 प्रति इक्विटी शेयर की दर से शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश), ₹100 प्रत्येक के पूर्ण भुगतान वाले 4,42,382 इक्विटी शेयरों पर यानी

₹। वित्त वर्ष के लिए 35,39,056 2022-23 को एतद्द्वारा अनुमोदित और पुष्टि की जाती है, और इसका भुगतान उन इक्विटी शेयरधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम 31 मार्च, 2023 को सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई दिए थे।

श्रीमती पूजा (फोलियो नंबर 0000959) ने उपरोक्त संकल्प को एक सामान्य संकल्प के रूप में समर्थन दिया:

3. श्रीमती के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने पर विचार करना। अंजू देवी (डीआईएन 09377125), जो चक्रिये क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होती हैं और योग्य होने के कारण खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती हैं।

3.1 श्री सुनीता (फोलियो नंबर 0011350) ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या तीसरी एजीएम:30.09.2023:3/2023

“यह संकल्प लिया कि श्रीमती। अंजू देवी (डीआईएन 09377125), कंपनी की निदेशक, जो चक्रिये क्रम द्वारा सेवानिवृत्त होती हैं और पात्र होने के कारण खुद को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती हैं, उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिये क्रम द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं।”

मोहम्मद शाहरुख खान (फोलियो नंबर 0017488) ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

सभापति ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

4. श्री अंकुर कुमार (डीआईएन: 09377126) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना और नियुक्त करना, जो चक्रिये क्रम से सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने के कारण खुद को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं।

4.1 मोहम्मद अशपाक (फोलियो नंबर 0002142) ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या तीसरी एजीएम : 30.09.2023 : 4/2023

“यह तय किया गया है कि कंपनी के निदेशक श्री अंकुर कुमार (DIN:09377126), जो चक्रिये क्रम द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने के कारण खुद को फिर से नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं, उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिये क्रम द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं। ”

श्री संजय कुमार (फोलियो नंबर 002236) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

सभापति ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

5. श्रीमती की नियुक्ति पर विचार करना। संगीता (डीआईएन 10052965) कंपनी के निदेशक के रूप में, चक्रिये क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं और यदि उचित समझा जाए, तो इस संबंध में एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को संशोधन (ओं) के साथ या बिना संशोधन के पारित करने के लिए उत्तरदायी हैं:

5.1 श्रीमती रितु देवी (फोलियो नंबर 005350) ने निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या तीसरी एजीएम:30.09.2023:5/2023

“यह संकल्प लिया कि श्रीमती। संगीता (डीआईएन:10052965) जिन्हें 22 फरवरी, 2023 से कंपनी के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक साधारण सभा की तारीख तक पद पर हैं, उन्हें इसके निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। कंपनी, जिसकी कार्यालय अवधि चक्रिये क्रम द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

आगे संकल्प लिया गया कि मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, उचित और समीचीन सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है।

श्रीमती पिकी (फोलियो नंबर 0003410) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

सभापति ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।  
6. कंपनी के निदेशक के संबद्ध रूप में श्री संजय कुमार (डीआईएन: 10055051) की नियुक्ति पर विचार करने के लिए, चक्रिये क्रम द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी और यदि उचित समझा जाए, तो इसमें निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में संशोधन (ओं) के साथ या बिना संशोधन के पारित करना होगा।

6.1 श्रीमती. अनिता देवी (फोलियो नंबर 0004002) ने निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या तीसरी एजीएम:30.09.2023:6/2023

श्रीमती पिकी (फोलियो नंबर 0003410) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

सभापति ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

6. कंपनी के निदेशक के रूप में श्री संजय कुमार (डीआईएन: 10055051) की नियुक्ति पर विचार करने के लिए, चक्रिये क्रम द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी और यदि उचित समझा जाए, तो इसमें निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में संशोधन (ओं) के साथ या बिना संशोधन के संबद्ध पारित करना होगा।

6.1 श्रीमती. अनिता देवी (फोलियो नंबर 0004002) ने निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या तीसरी एजीएम:30.09.2023:6/2023

“संकल्प लिया गया है कि श्री संजय कुमार (DIN10055051) को 22 फरवरी, 2023 से कंपनी के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक साधारण सभा की तारीख तक पद पर हैं, उन्हें इसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा। कंपनी के निदेशक के रूप में, जिनकी कार्यालय अवधि चक्रिये क्रम के अनुसार सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

आगे संकल्प लिया गया कि मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, उचित और समीचीन सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है।

श्रीमती सुनीता देवी (फोलियो नंबर 0003895) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

सभापति ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

7. कंपनी के निदेशक के रूप में श्री रविंदर कुमार (डीआईएन: 10053514) की नियुक्ति पर विचार करने के लिए, उन्हें चक्रिये क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त किया जा सकता है और यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में संशोधन (ओं) के साथ या बिना संबद्ध संशोधन के पारित किया जा सकता है।

7.1 श्री दिनेश सिंह (फोलियो नंबर 0004961) ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या तीसरी एजीएम:30.09.2023:7/2023

“यह तय किया गया है कि श्री रविंदर कुमार (डीआईएन:10053514) जिन्हें 22 फरवरी, 2023 से कंपनी के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक साधारण सभा की तारीख तक पद पर हैं। एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनकी कार्यालय अवधि चक्रिये क्रम द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

आगे संकल्प लिया गया कि मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, उचित और समीचीन सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है।

श्रीमती मालती (फोलियो नं. 0012357) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

सभापति ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

8. कंपनी के निदेशक के रूप में श्री अमित कुमार (DIN:10052318) की नियुक्ति पर विचार करने के लिए, उन्हें चक्रिये क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त किया जा सकता है और यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में संशोधन (ओं) के साथ या बिना संबद्ध संशोधन के पारित किया जा सकता है।

8.1 श्री महेंद्र सिंह (फोलियो नंबर 0007458) ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या तीसरी एजीएम:30.09.2023:8/2023

“संकल्प लिया गया है कि श्री अमित कुमार (डीआईएन:10052318) जिन्हें 24 मार्च, 2023 से कंपनी के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक साधारण सभा की तारीख तक पद पर हैं। एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनकी कार्यालय अवधि चक्रिये क्रम द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

आगे संकल्प लिया गया कि मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, उचित और समीचीन सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है।

श्री बिजेन्द्र सिंह (फोलियो नं. 0007269) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

सभापति ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

9. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के बजट पर विचार एवं अनुमोदन करना।

9.1 श्री प्रशांत कुमार (फोलियो नंबर 0014615) ने निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या तीसरी एजीएम:30.09.2023:9/2023

“यह संकल्प लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक साधारण सभा से पहले रखा गया था, को मंजूरी दे दी गई है।”

श्री हेमा सिंह (फोलियो नंबर 0015965) ने उपरोक्त संकल्प का समर्थन किया।

सभापति ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित कर दिया।

10. बैठक में लेन-देन के लिए कोई अन्य कार्य नहीं होने के कारण अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

प्रवेश की तिथि:17/10/2023

हस्ताक्षर करने की तिथि:27/10/2023

हस्ताक्षर करने का स्थान:बुलंदशहर

अध्यक्ष

हस्तिल प्रवेश  
मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड  
सी.आई.एन :U01110UP2021PTC154607  
रजिस्टर्ड कार्यालय: द्वितीय तल, वर्धमान प्लाजा, प्लॉट नंबर 09, पॉकेट - जे,  
पल्लवपुरम-1, रूड़की रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250 110, भारत  
दूरभाष संख्या : 0121-4341575  
ईमेल :info@haritpmilk.com, वेबसाइट: www.haritpmilk.com

फॉर्म संख्या एमजीटी-11  
प्रतिनिधि फॉर्म (प्रॉक्सी फॉर्म)

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 (6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में)

सी.आई.एन: U01110UP2021PTC154607

कंपनी का नाम: हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय: द्वितीय तल, वर्धमान प्लाजा, प्लॉट नंबर 09, पॉकेट - जे, पल्लवपुरम-1, रूड़की रोड, मेरठ-250 110,  
उत्तर प्रदेश, भारत

सदस्य (सदस्यों) का नाम :  
रजिस्ट्रीकृत पता :  
ईमेल आईडी :  
फोलियो संख्या :

मैं/हम ..... उपर्युक्त कंपनी के ..... अंशो (शेयरों) के सदस्य होने के नाते,  
एतद्वारा निम्न को नियुक्त करते हैं

1. नाम :  
पता :  
फोलियो संख्या :  
ईमेल आईडी :  
हस्ताक्षर : ..... या उनके न होने पर

2. नाम :  
पता :  
फोलियो संख्या :  
ईमेल आईडी :  
हस्ताक्षर : .....

दिनांक 28 सितम्बर, 2024 दिन शनिवार को दोपहर 12:00 बजे 'संस्कृति रिजॉर्ट्स, रोहटा रोड फ्लाईओवर के पास, एनएच-58, मेरठ 250 110, उत्तर प्रदेश, भारत में होने वाली कंपनी की चतुर्थ वार्षिक साधारण सभा अथवा अड्जॉर्न मीटिंग में मेरे/हमारे प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) के रूप में निम्नवत दर्शित प्रस्तावों में मेरे / हमारे लिए भाग लेंगे एवं मतदान दूंगा (मतदान में):

मद संख्या	प्रस्ताव	मतदान		
		पक्ष में	विरोध में	तटस्थ
1	31 मार्च, 2024 का अंकेक्षित आर्थिक चिह्न, लाभ-हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करके उन पर विचार करना।			
2	कंपनी की समता अंश पूंजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना।			
3	श्री वीरेंद्र (DIN:09377062) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना और नियुक्त करना, जो चक्रिये क्रम से सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने के कारण खुद को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं।			
4	श्री विवेक कुमार (DIN:09733815) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना और नियुक्ति करना, जो चक्रिये क्रम से सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने के कारण खुद को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं।			
5	1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट पर विचार और अनुमोदन करना।			
6	कंपनी की अधिकृत अंश पूंजी में वृद्धि करने पर विचार करना।			
7	परिभाषित मानदंडों के आधार पर बोर्ड में रिक्त पद के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की जांच करने के लिए 'नामांकन समिति के गठन के लिए दिशानिर्देशों' पर विचार करना और अनुमोदन करना।			
8	एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ सेकेंडमेंट व्यवस्था/समझौते पर विचार करना और अनुमोदन करना।			
9	एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज को दूध की आपूर्ति पर विचार करना और अनुमोदन करना।			

दिनांक ..... को हस्ताक्षरित  
शेयरधारक के हस्ताक्षर:.....  
प्रॉक्सीधारक (को) के हस्ताक्षर:.....

₹1  
राजस्व  
स्टाम्प

मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी

टिप्पणी: यह प्रॉक्सी फॉर्म प्रभावी होने के लिए सम्यक रूप से पूर्ण एवं कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में वार्षिक साधारण सभा प्रारम्भ होने के कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा किया जाना चाहिए।

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड  
सी.आई.एन :U01110UP2021PTC154607  
रजिस्टर्ड कार्यालय: द्वितीय तल, वर्धमान प्लाजा, प्लॉट नंबर 09, पॉकेट - जे,  
पल्लवपुरम-1, रूड़की रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250 110, भारत  
दूरभाष संख्या : 0121-4341575  
ईमेल :info@haritpmilk.com, वेबसाइट: www.haritpmilk.com

उपस्थिति पर्ची

चतुर्थ वार्षिक साधारण सभा- 28 सितंबर, 2024

फोलियो संख्या	
धारित अंशों की संख्या	
16 अंकों का सदस्य कोड	

मैं .....प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं, कंपनी का एक पंजीकृत सदस्य/ सदस्या / (सदस्यों) का प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) हूँ। मैं एतद्वारा 'संस्कृति रिजॉर्ट्स, रोहटा रोड फ्लाइओवर के पास, एनएच-58, मेरठ 250 110, उत्तर प्रदेश, भारत में शनिवार, दिनांक 28 सितम्बर 2024 को दोपहर 12:00 बजे आयोजित होने वाली कंपनी की चतुर्थ वार्षिक साधारण सभा अथवा अड्जॉर्न मीटिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ।

सदस्य/प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) का नाम

सदस्य/प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) के हस्ताक्षर

(ए) भाग लेने के लिए:

(बी) उपस्थित होने और मतदान करने के लिए:

हरित प्रदेश  
मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड  
सी.आई.एन :U01110UP2021PTC154607  
रजिस्टर्ड कार्यालय: द्वितीय तल, वर्धमान प्लाजा, प्लॉट नंबर 09, पॉकेट - जे,  
पल्लवपुरम-1, रूड़की रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250 110, भारत  
दूरभाष संख्या : 0121-4341575  
ईमेल :info@haritpmilk.com, वेबसाइट: www.haritpmilk.com

पावती

फोलियो संख्या:

एम.पी.पी. कोड:

मैं ..... सदस्य कोड .....  
निवासी..... हरित प्रदेश  
मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का सदस्य/ सदस्या/ हूँ मैं यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ की कंपनी द्वारा भेजी गई चतुर्थ वार्षिक  
साधारण सभा की सूचना सभी अनुलग्नकों के साथ दिनांक ..... को प्राप्त कर लिया/ली हूँ।

सदस्य/सदस्या के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

दिनांक: .....

स्थान: .....

हाथ से सुपुर्दगी की स्थिति में:

नोटिस देने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर .....

अधिकारी/व्यक्ति का नाम .....

हरित प्रदेश

मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी

## सदस्यता को जारी रखने और रद्द करने की शर्तें

- १ . सदस्य कोई ऐसा व्यावसायिक हित अर्जित करता है जो कंपनी के व्यवसाय के साथ टकराव में है।
- २ . सदस्य किसी ऐसे कार्य में लिप्त है/लिप्त रहा है जो कंपनी के कामकाज के लिए हानिकारक है या जिसने कंपनी के हित और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है या नुकसान पहुंचाने की संभावना है।
- ३ . सदस्य अपने स्वामित्व वाले दुधारू पशुओं से दूध के उत्पादन में लगा हुआ है और गायों और भैंसों की देखभाल और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
- ४ . सदस्य ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 200 दिनों तक दूध की आपूर्ति की है और सालाना कम से कम 500 लीटर दूध डाला है।
- ५ . सदस्य ने आपूर्ति की गई दूध की वार्षिक मात्रा से मेल खाने वाले शेयरों के लिए सदस्यता ली है।
- ६ . सर्दियों के महीनों यानी नवंबर से फरवरी के दौरान कंपनी को आपूर्ति की गई कुल दूध पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान गर्मियों के महीनों यानी अप्रैल से जुलाई के दौरान आपूर्ति किए गए दूध से 3 गुना से अधिक नहीं होगी।
- ७ . सदस्य द्वारा आपूर्ति किया गया दूध कंपनी द्वारा समय-समय पर निर्धारित सभी गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है।
- ८ . सदस्य ने पिछले 6 महीने या उससे अधिक की अवधि के दौरान हरित प्रदेश दुग्ध उत्पादक कंपनी को किए जाने वाले 1000/- रुपये या उससे अधिक के किसी भी भुगतान में चूक नहीं की है।
- ९ . सदस्य ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जो कंपनी के कामकाज के लिए हानिकारक हो।
- १० . सदस्य ने ऐसा कोई व्यवसाय नहीं किया है जो दुग्ध उत्पादक कंपनी के व्यावसायिक हितों के विपरीत हो।
- ११ . सदस्य ने दुग्ध उत्पादक कंपनी को जानबूझकर धोखा नहीं दिया है।
- १२ . सदस्य ने कंपनी को कोई गलत जानकारी नहीं दी है। कंपनी सदस्य द्वारा दी गई जानकारी को स्वप्रेरणा से या किसी वास्तविक सदस्य से शिकायत प्राप्त होने पर सत्यापित कर सकती है।
- १३ . सदस्य को अपने घर का पूरा अधिशेष दूध कंपनी को आपूर्ति करने में चूक करते नहीं पाया गया है।
- १४ . सदस्य कोड में परिवार में वास्तविक दूध उत्पादन/अतिरिक्त दूध की मात्रा की तुलना में अधिक मात्रा में दूध डाला गया है, जैसा कि सदस्यों द्वारा घोषित किया गया है।
- १५ . एक ही परिवार में एक से अधिक सदस्यों (सहायक परिवार सहित) को शामिल करते हुए फर्जी सदस्यता
- १६ . सदस्य कोड का उपयोग किसी और का दूध डालने के लिए किया जाता है
- १७ . यदि सदस्यता सहायक के नाम पर आवंटित की गई है।